

E P F O



*In the forefront of
changes in delivery of
publicly managed services.*

वर्ष 2002-2003 के
समेकित वार्षिक लेखे
लेखा परीक्षा
की रिपोर्ट सहित

CONSOLIDATED
ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2002-2003

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

*changes in delivery of
publicly managed services.*

वर्ष 2002-2003 के
समेकित वार्षिक लेखे
लेखा परीक्षा
की रिपोर्ट सहित

**CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2002-2003**

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
CORPORATE HEADQUARTERS
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN 14, BHIKAJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110 066**

INDEX

S.NO.	CONTENTS	PAGE
1.	Income & Expenditure Account - EPF -----	1
2.	Income & Expenditure Appropriation Account - EPF -----	3
3.	Balance Sheet - EPF -----	5
4.	Contribution Account - EPS -----	22
5.	Administration Account - EPS -----	24
6.	Balance Sheet - EPS -----	26
7.	Contribution Account - EDLI -----	31
8.	Administration Account - EDLI -----	33
9.	Balance Sheet - EDLI -----	35
10.	Audit Certificate -----	40
11.	Audit Report -----	41

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME, 1952**

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
(EMPLOYEES' PROVIDENT**

Dr.

Previous Year	Sl. No.	EXPENDITURE	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1,513,584,461.14	1.	Salaries of Officers and Staff	1,593,502,670.88
249,186,813.99	2.	Allowances & Honorarium	264,246,685.09
42,130,928.11	3.	T.A. & L.T.C	40,697,527.99
426,845,326.16	4.	Pension/Family Pension/Death-cum-Retirement Gratuity	457,769,380.56
0.00	5.	(a) Staff Provident Fund (Board's share)	0.00
1,189,796.28		(b) S.P.F. D.L.I Benefits	597,620.75
655,634,737.69	6.	(a) Other charges (Recurring/Non-recurring)	731,050,620.26
51,854,005.11		(b) Maintenance of Office Building/Staff Quarters	35,872,254.62
3,822,472.04	7.	(a) Grants	7,720,082.24
0.00		(b) Refund of G.I.S Savings Fund	0.00
2,944,248,540.52		Total Expenditure incurred on EPF Scheme	3,131,456,842.39
	8.	<u>Expenditure incurred on Administration of:</u>	
567,565,983.69	(a)	E.P.S. Scheme	603,654,331.05
35,472,873.97	(b)	E.D.L.I Scheme	37,728,395.69
13,517.00	(c)	A.E.C.D. Scheme	0.00
2,506,763,157.84	9.	Excess of Income over Expenditure	2,305,082,674.89
6,054,064,073.02		TOTAL	6,077,922,244.02

FOR THE YEAR, 2002-2003
FUND SCHEME, 1952)

EPF
India

Previous Year	Sl. No.	INCOME	Sch. No.	Amount	Cr. (Rs.)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4,988,576.677.11	1.	Receipts by way of Administrative Charges, Inspection Charges and Penal Damages	(I)	5,317,341,211.95	
509,644,912.24	2.	Interest earned on Investment of surplus Administration Fund		701,410,075.46	
512,814,302.28	3.	Receipt from Pension Fund & other Accounts	(II)	29,579,924.45	
43,028.181.39	4.	Miscellaneous Receipts		29,591,032.16	
0.00	5.	Excess of Expenditure over Income			0.00
6,054,064,073.02		TOTAL		6,077,922,244.02	

Dr.

Previous Year	Sl. No.	EXPENDITURE	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
0.00	1.	Excess of Expenditure over Income:	0.00
0.00	2.	Provision for Building Construction Fund	500,000,000.00
-6,854,005.11	3.	Provision for Maintenance (Repair, Renewal and Replacement) Fund	24,127,745.38
2,513,617,162.95	4.	Balance carried down to Balance Sheet	1,780,954,929.51
2,506,763,157.84	TOTAL		2,305,082,674.89

APPROPRIATION ACCOUNT
FUND SCHEME, 1952)

EPF
India

Previous Year	Sl. No.	INCOME	Cr.	
			Amount	(Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2,506,763,157.84	1.	Excess of Income over Expenditure	2,305,082,674.89	
0.00	2.	Balance carried down to Balance Sheet		0.00

2,506,763,157.84	TOTAL	2,305,082,674.89
------------------	-------	------------------

<u>Previous Year</u>	<u>Foot Note</u>	<u>Current Year</u>
Rs. 4,133.31 Lakh	(i) The accounts have been compiled on actual basis.	
	(ii) Expenditure incurred on Administration of Employees' Pension Scheme due	Rs. 10,848.42 Lakh
Rs. 0.14 Lakh	(iii) Expenditure incurred on Administration of A.E.C.D. Scheme.	Rs. 0.00 Lakh
	(iv) Estimated amount of arrears due from the employers but not received	
Rs. 4,451.11 Lakh	{ (a) Administrative Charges } { (b) Inspection Charges }	Rs. 4,946.93 Lakh

Sd/-

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Previous Year	Sl. No.	LIABILITIES	Sch. No.	Amount (Rs.)
507,158,609,842.01	1.	Employees' Provident Fund A/c	III	558,161,488,446.16
3,819,131,961.71	2.	Unclaimed Deposit Account	IV	6,345,667,218.85
7,295,124,858.18	3.	Special Reserve Fund	V	7,987,896,610.71
	4.	Interest Suspense A/c:		
21,786,970,055.35	(a)	Balance in the Account to be credited to members Accounts upto 31.3.2003	VI	23,601,089,984.60
57,507,915,539.40	(b)	Amount received during the year and to be credited to members Accounts next year		59,530,113,549.64
	5.	Staff Provident Fund Account :		
1,807,160,393.36	(a)	Staff Provident Fund A/C	VII	2,060,480,480.36
85,822,196.95	(b)	Staff Provident Fund Interest A/c	VIII	131,819,546.96
2,081,436,917.56	6.	Pension-cum-Gratuity A/c (Staff)	IX	2,611,369,926.20
1,173,329,764.88	7.	Investment Fluctuation A/c	X	-1,486,326,262.66
1,057,551.46	8.	Security Deposits		1,052,896.46
602,716,559,080.86		TOTAL		658,944,652,397.28

31ST MARCH, 2003
FUND SCHEME, 1952)

EPF
India

Previous Year	Sl. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)
	1.	Investment Account:		
599,357,043.108.40	(a)	Employees' Provident Fund	XV	653,471,615,479.49
1,943,696,783.83	(b)	Staff Provident Fund	XVI	2,253,786,757.58
2,081,890,397.60	(c)	Pension-cum-Gratuity Fund	XVII	2,576,005,807.58
9,684,962.119.90	(d)	Administration Fund	XVIII	11,869,266,483.90
	2.	Land and Building:		
1,655,318,432.16	(a)	Assets acquired		2,079,419,514.61
961,686,232.93	(b)	Advances paid		846,034,133.17
499,503,920.46	3.	Recoverable Advances (Staff)	XIX	516,788,512.00
502,043,211.08	4.	Special Reserve Fund (Recoverable)		521,916,639.93
981,296.20	5.	Security Deposits (Advance to parties)		982,876.20
687,114,864.50	6.	Remittances in Transit	XX	501,990,206.50
37,136.10	7.	Cash in hand		37,849.80
- 1,353,460,032.97	8.	Cash Book Balance/Cash at Bank	XXI	82,971,411.17
809,360,700.02	9.	Sundry Debits	XXII	895,363,683.98
616,830,178,170.21		TOTAL		675,616,179,355.91

Previous Year	Sl. No.	LIABILITIES	Sch. No.	Amount (Rs.)
602,716,559,080.86		Total B/F		658,944,652,397.28
4,449,780,760.32	9.	Building Construction Fund	XI	5,218,859,880.08
105,756,434.50	10.	Building Maintenance (Repair, renewal & replacement) Fund	XII	140,828,348.66
8,493,222,128.83	11.	Revenue Surplus	XIII	10,271,032,074.82
10,088,610.39	12.	(a) Group Insurance Scheme (Old)		10,088,610.39
-414,673.65		(b) Group Insurance Scheme (New)		-182,712.45
1,055,185,828.96	13.	Sundry Credits	XIV	1,030,900,757.13
616,830,178,170.21		TOTAL		675,616,179,355.91

Previous Year	Sl. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)
616,830,178,170.21		Total B/F		675,616,179,355.91

616,830,178,170.21	TOTAL	675,616,179,355.91
--------------------	-------	--------------------

<u>Previous Year</u>	<u>Foot Note</u>	<u>Current Year</u>
	(i) The Accounts have been compiled on actual basis.	
	(ii) Estimated amount due from the employers but not received:	
Rs. 95,304.32 Lakh	(a) E.P.F. Contribution	Rs. 1,51,179.00 Lakh
Rs. 7,747.06 Lakh	(b) Penal Damages on Contribution, Admn. Charges and Inspection Charges	Rs. 11,281.43 Lakh
	(iii) The investment of SPF and Pension-cum-Gratuity Funds are shown in the Balance Sheet at Cost Price.	
	(iv) Out of the Building Construction Fund of Rs. 521,88,59,880.08 the cost of Land & Building acquired as on 31.3.2003 including the advances paid is Rs. 292,54,53,647.78 and the balance of Rs. 229,34,06,232.30 is invested alongwith EPF Administration Fund.	
	(v) All the fixed assets except Land & Building are treated as Revenue Expenditure and no depreciation is provided on Land & Building as per Manual provisions.	

Sd/

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
SCHEDULE No. I				
Details of Income				
4,532,529,870.55		1. Admn. Charges	4,820,049,239.50	
430,887,768.45		2. Inspection Charges	456,378,659.56	
17,888,553.49		3. Penal Damages	21,888,464.87	
7,270,484.62		4. 7Q Interest	19,024,848.02	
<u>4,988,576,677.11</u>		TOTAL	<u>5,317,341,211.95</u>	
SCHEDULE No. II				
Receipts from Pension fund and other Accounts :				
491,509,277.34		1. From Pension fund for Admn. of Employees' Pension Scheme		0.00
21,305,024.94		2. From other Accounts	29,579,924.45	
<u>512,814,302.28</u>		TOTAL	<u>29,579,924.45</u>	
Details of Receipt from other Accounts				
46,799,588.39		1. From EDLI Fund for Administration of EDLI Scheme	7,780,000.00	
0.00		2. From other Accounts	0.00	
<u>46,799,588.39</u>			<u>7,780,000.00</u>	
Less :				
0.00		1. Amount transferred to other Accounts	0.00	
25,494,563.45		2. Transferred from A/c No. 2 to A/c No. 4 & Vice-Versa as per Regional Office Accounts & Central Office Account	-21,799,924.45	
<u>25,494,563.45</u>		TOTAL	<u>-21,799,924.45</u>	
<u>21,305,024.94</u>		BALANCE	<u>29,579,924.45</u>	

2001-2002		SCHEDULE No. III	2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
		Employees' Provident Fund A/c		
449,593,471,574.03		Balance as per last Balance Sheet	507,158,609,842.01	
		Add :		
69,101,319,462.38		1. Contribution (including refund of withdrawal) received during the year	75,287,667,502.60	
400,460,818.00		2. Contribution received by way of transferred securities (HQ Office contra)	830,832,119.92	
57,089,706,011.06		3. Interest credited to members accounts	54,408,315,033.22	
1,236,487,489.73		4. Other Receipts	1,541,532,303.23	
<u>577,421,445,355.20</u>		TOTAL	<u>639,226,956,800.98</u>	
		Less :		
53,557,768,296.43		1. Payment made during the year to out going members on final settlement	55,062,804,775.60	
107,805,198.50		2. Premia paid during the year on members Life Insurance Policies	648,611,318.45	
14,144,406,107.00		3. Loan paid during the year to the members	20,050,471,111.60	
0.00		4. Employers share forfeited during the year	0.00	
705,042,344.00		5. Unclaimed Deposit Account	2,686,257,794.64	
1,682,225,167.26		6. Miscellaneous Payment	2,575,633,154.53	
65,588,400.00		7. Amount of securities transferred back to exempted establishments	41,690,200.00	
<u>70,262,835,513.19</u>		TOTAL	<u>81,065,468,354.82</u>	
<u>507,158,609,842.01</u>		BALANCE	<u>558,161,488,446.16</u>	

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
SCHEDULE No. IV				
Unclaimed Deposit A/C				
3,516,240,211.71		Balance as per last Balance Sheet	3,819,131,961.71	
		Add :		
705,042,344.00		Amount transferred during the year	2,686,257,794.64	
<u>4,221,282,555.71</u>		TOTAL	<u>6,505,389,756.35</u>	
		Less :		
402,150,594.00		Amount paid during the year	159,722,537.50	
<u>3,819,131,961.71</u>		BALANCE	<u>6,345,667,218.85</u>	
 SCHEDULE No. V				
Special Reserve Fund				
6,666,700,270.21		Balance as per last Balance Sheet	7,295,124,858.18	
		Add :		
0.00		1. Amount received from Employers during the year	1,272.00	
633,336,525.67		2. Interest on SRF Account	693,036,861.53	
<u>7,300,036,795.88</u>		TOTAL	<u>7,988,162,991.71</u>	
		Less :		
187,518.00		1. Amount paid as death relief	150,071.00	
4,724,419.70		2. Amount paid from SRF Account	116,310.00	
<u>4,911,937.70</u>		TOTAL	<u>266,381.00</u>	
<u>7,295,124,858.18</u>		BALANCE	<u>7,987,896,610.71</u>	

2001-2002		SCHEDULE No. VI	2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
		Interest Suspense A/c		
80,222,311,948.95		Balance as per last Balance Sheet	79,294,885,594.75	
		Less:		
57,089,654,724.06		1. Interest credited to members' accounts	54,408,315,033.22	
51,287.00		2. Interest paid on deposits refunded to exempted estts	0.00	
473,925,210.41		3. Interest paid to vendors	480,977,387.74	
633,336,525.67		4. Interest accrued on SRF A/c adjusted	693,036,861.53	
238,374,146.46		5. Interest accrued on Fluctuation Account adjusted	111,466,327.66	
<u>58,435,341,893.60</u>		TOTAL	<u>55,693,795,610.15</u>	
21,786,970,055.35		Balance in the Accounts to be credited to the members' accounts upto 31.3.2003	23,601,089,984.60	
		Add :		
57,208,129,899.65		1. Interest realised on investment of securities	59,077,461,785.09	
419,538.87		2. Interest on Savings Bank Accounts (Central)	220,638.13	
28,552,462.93		3. Interest on Savings Bank Accounts (Regional)	69,942,728.31	
2,130,758.68		4. Interest on securities received from the establishments	2,709,257.11	
10,737,046.36		5. Interest realised from members on loans	11,490,622.54	
257,945,832.91		6. Penal Damages on belated contributions received during the year	368,288,518.46	
<u>57,507,915,539.40</u>		TOTAL	<u>59,530,113,549.64</u>	
<u>79,294,885,594.75</u>		BALANCE	<u>83,131,203,534.24</u>	

2001-2002		SCHEDULE No. VII	2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
A. Staff Provident Fund				
1,493,540,362.19		Balance as per last Balance Sheet	1,766,390,887.19	
		Add :		
660,263,220.00		1. Contribution (including refund of withdrawal) received during the year	675,978,641.00	
	0.00	2. Boards' Share		0.00
144,797,807.00		3. Interest credited to members' accounts	166,680,429.00	
<u>2,298,601,389.19</u>		TOTAL	<u>2,609,049,957.19</u>	
		Less :		
176,566,378.00		1. Payment made during the year to outgoing members on final settlement	274,603,400.00	
	0.00	2. Premia paid during the year on members' Life Insurance Policies		0.00
261,413,142.00		3. Loan paid during the year to the members	242,162,790.00	
94,230,982.00		4. Other payments (transfer to other Regions)	66,727,943.00	
<u>532,210,502.00</u>		TOTAL	<u>583,494,133.00</u>	
<u>1,766,390,887.19</u>		BALANCE	<u>2,025,555,824.19</u>	
B. SPF A/c transferred from other Regions				
26,034,668.17		Balance as on 1st April 2002	40,769,506.17	
		Add :		
94,230,982.00		Amount transferred to the Regions	66,727,943.00	
<u>120,265,650.17</u>		TOTAL	<u>107,497,449.17</u>	
		Less :		
79,496,144.00		Amount received from other regions	72,572,793.00	
<u>40,769,506.17</u>		BALANCE	<u>34,924,656.17</u>	
<u>1,807,160,393.36</u>		TOTAL (A+B)	<u>2,060,480,480.36</u>	

2001-2002		SCHEDULE No. VIII	2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
		Staff Provident Fund Interest Account		
46,379,595.01		Balance as per last Balance Sheet	85,822,196.95	
		Add :		
190,413,425.96		1. Interest realised on investment of securities	220,508,550.74	
23,871.06		2. Interest on Savings Bank Account	11,116.50	
<u>236,816,892.03</u>		TOTAL	<u>306,341,864.19</u>	
		Less :		
144,797,807.00		1. Interest credited to members' accounts	166,680,429.00	
6,196,888.08		2. Interest paid to vendors	7,841,888.23	
<u>150,994,695.08</u>		TOTAL	<u>174,522,317.23</u>	
<u>85,822,196.95</u>		BALANCE	<u>131,819,546.96</u>	
		SCHEDULE No. IX		
		Pension-cum-Gratuity A/c		
1,599,426,537.62		Balance as per last Balance Sheet	2,081,436,917.56	
		Add :		
300,000,000.00		1. Amount transferred from A/c No. 4	300,000,000.00	
2.94		2. Interest realised on Saving Bank Account	3.10	
190,778,108.01		3. Interest realised on Securities	238,909,929.37	
<u>2,090,204,648.57</u>		TOTAL	<u>2,620,346,850.03</u>	
		Less :		
0.00		1. Payment made by the Regions	0.00	
8,767,731.01		2. Interest paid to vendors	8,976,923.83	
<u>8,767,731.01</u>		TOTAL	<u>8,976,923.83</u>	
<u>2,081,436,917.56</u>		BALANCE	<u>2,611,369,926.20</u>	

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.	SCHEDULE No. X	Rs.	P.
		Investment Fluctuation Account		
2,509,201,541.72		A. Gain on redemption of securities accounted upto 2001-2002	1,173,329,764.88	
-1,574,245,923.30		B. Gain/loss on purchase of securities	-2,771,122,355.20	
238,374,146.46		C. Interest on Fluctuation A/c	111,466,327.66	
<u>1,173,329,764.88</u>		TOTAL	<u>-1,486,326,262.66</u>	
	0.00	Less : Gain/Loss on sale of securities		0.00
<u>1,173,329,764.88</u>		BALANCE	<u>-1,486,326,262.66</u>	
		SCHEDULE No. XI		
		Building Construction Fund :		
4,201,752,854.20		Balance as per last Balance Sheet	4,449,780,760.32	
	0.00	Add :		
248,027,906.12		1. Provisions made during the year	500,000,000.00	
<u>4,449,780,760.32</u>		2. Interest credited to the Fund	269,079,119.76	
		TOTAL	<u>5,218,859,880.08</u>	

Note :

The cost of land and building acquired including advances paid as on 31.3.2003 is Rs. 2,925,453,647.78 and the amount available for construction purposes as on 31.3.2003 is Rs. 2,293,406,232.30

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
		SCHEDULE No. XII		
		Building Maintenance (Repair, Renewal and Replacement) Fund :		
103,137,903.97		Balance as per last Balance Sheet	105,756,434.50	
		Add :		
-6,854,005.11		1. Amount appropriated from Revenue Surplus during the year	24,127,745.38	
9,472,535.64		2. Interest credited to the Fund	10,944,168.78	
<u>105,756,434.50</u>		TOTAL	<u>140,828,348.66</u>	
		SCHEDULE No. XIII		
		Revenue Surplus		
5,975,150,602.22		Balance as per last Balance Sheet	8,493,222,128.83	
		Add :		
5,088,775.66		1. Amount adjusted by the Regional Office	2,219,175.48	
2,513,617,162.95		2. Excess of Income over Expenditure transferred from Income and Expenditure Appropriation Account	1,780,954,929.51	
<u>8,493,856,540.83</u>		TOTAL	<u>10,276,396,233.82</u>	
		Less :		
634,412.00		1. Amount Adjusted by Regional Offices	5,364,159.00	
0.00		2. Excess of Expenditure over Income transferred from Expenditure over Income Appropriation Account	0.00	
<u>634,412.00</u>		TOTAL	<u>5,364,159.00</u>	
<u>8,493,222,128.83</u>		BALANCE	<u>10,271,032,074.82</u>	

2001-2002		SCHEDULE No. XIV	2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
		Sundry Credits		
		A. Regional :		
394,397,027.24		a. (i) Suspense Account (EPF)	328,298,350.07	
187,531,809.36		(ii) Suspense Account (Adm. Fund)	203,453,086.67	
7,185,851.57		(iii) Suspense Account (SPF)	1,191,058.26	
3,604,637.84		b. Over Payments	4,508,601.18	
7,597,113.47		c. Irregular Payments	7,618,288.47	
0.00		d. AECD (DA) A/c	0.00	
895,000.00		e. Amount payable to EDLI Account	895,000.00	
		B. Central :		
0.00		a. Excess credits in E.P.F Investment Accounts	85,699,390.00	
0.00		b. Excess Credits in SPF Investment Account	0.00	
0.00		c. Excess Credits in Pen-Cum-Grat. Fund Inv. A/C	0.00	
875,009.00		d. Amount not accounted for by the Regions though received in A/c No. 5 from A/c No. 1	875,009.00	
122,513,339.00		e. Amount credited to Account No. 1 but not debited to A/c No. 5	122,513,339.00	
303,502,279.60		f. Excess credit to Account No. 5	246,456,403.60	
26,080,741.88		g. Excess credit to Account No. 8	26,455,423.88	
1,003,020.00		h. Excess credit to Account No. 9	2,936,807.00	
1,055,185,828.96		TOTAL :	1,030,900,757.13	

2001-2002		2002-2003	
Rs.	P.	Rs.	P.
SCHEDULE No. XV			
Investment Account of Employees' Provident Fund			
A. Securities Purchased Centrally			
541,498,222,813.82		Balance as per last Balance Sheet	596,991,658,995.74
Add :			
63,028,367,905.22		1. Amount invested centrally (Cost Price)	68,827,194,623.37
- 1,574,245,923.30		2. Gain/Loss on purchase of securities for the year 2002-2003	- 2,771,122,355.20
<u>602,952,344,795.74</u>		TOTAL	<u>663,047,731,263.91</u>
Less :			
0.00		1. Gain/Loss on sale of securities	0.00
5,960,685,800.00		2. Securities redeemed during the year	12,730,641,817.00
<u>5,960,685,800.00</u>		TOTAL	<u>12,730,641,817.00</u>
<u>596,991,658,995.74</u>		BALANCE (A)	<u>650,317,089,446.91</u>
B. Securities transferred by Regions			
2,030,511,694.66		Balance as per last Balance Sheet	2,365,384,112.66
Add :			
400,460,818.00		1. Securities received (Accepted Value)	830,832,119.92
0.00		2. Other Adjustments	0.00
<u>2,430,972,512.66</u>		TOTAL	<u>3,196,216,232.58</u>
Less :			
65,588,400.00		Securities returned to Establishments (Accepted Value)	41,690,200.00
<u>2,365,384,112.66</u>		BALANCE (B) :	<u>3,154,526,032.58</u>
<u>599,357,043,108.40</u>		TOTAL (A) + (B)	<u>653,471,615,479.49</u>

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
SCHEDULE No. XVI				
Investment Account of				
Staff Provident Fund				
1,619,229,725.75		Balance as per last Balance Sheet	1,943,696,783.83	
		Add :		
343,523,658.08		Amount invested Centrally (Purchase Price)	411,463,373.75	
<u>1,962,753,383.83</u>		TOTAL	<u>2,355,160,157.58</u>	
		Less :		
19,056,600.00		Value of Securities redeemed	101,373,400.00	
<u>1,943,696,783.83</u>		BALANCE	<u>2,253,786,757.58</u>	
SCHEDULE No. XVII				
Investment Account of Pension-cum-Gratuity Fund (Staff) :				
1,579,896,396.16		Balance as per last Balance Sheet	2,081,890,397.60	
		Add :		
513,718,301.44		Amount invested centrally (Purchase Price)	590,248,009.98	
<u>2,093,614,697.60</u>		TOTAL	<u>2,672,138,407.58</u>	
		Less :		
11,724,300.00		Value of securities redeemed	96,132,600.00	
<u>2,081,890,397.60</u>		BALANCE	<u>2,576,005,807.58</u>	

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
SCHEDULE No. XVIII				
Investment Account of Administration Fund				
7,206,458,203.90		Balance as per last Balance Sheet	9,684,962,119.90	
		Add :		
2,733,503,916.00		Amount invested	2,186,433,364.00	
<u>9,939,962,119.90</u>		TOTAL	<u>11,871,395,483.90</u>	
		Less :		
255,000,000.00		Securities redeemed	2,129,000.00	
<u>9,684,962,119.90</u>		BALANCE	<u>11,869,266,483.90</u>	
SCHEDULE No. XIX				
Recoverable Advances (Staff)				
64,766,935.65		a. Conveyance Advance	63,339,001.15	
403,407,458.96		b. House Building Advance	422,052,786.96	
132,891.50		c. Fan Advance	123,795.00	
20,173.75		d. Warm Clothing Advance	60,385.75	
11,048,133.10		e. Festival Advance	10,980,443.10	
3,385,628.85		f. Natural Calamity Advance	1,738,940.85	
12,792,739.13		g. Advance of Pay DA/TA	14,020,879.67	
1,217.25		h. Food Grain Advance	71,498.25	
563,026.00		i. Advance to Staff Co-operative Canteen/Store	376,332.00	
3,385,716.27		j. Miscellaneous Payments	4,024,449.27	
<u>499,503,920.46</u>		TOTAL	<u>516,788,512.00</u>	
SCHEDULE No. XX				
Amount in Transit				
153,834,930.88		a. EPF Account No. 4	152,379,699.88	
443,576,333.40		b. EPF Account No. 5	264,208,204.40	
44,875,934.22		c. EPF Account No. 8	40,556,556.22	
0.00		d. EPF Account No. 9	0.00	
0.00		e. Head Office A/c No. 4a	18,080.00	
44,827,666.00		f. EPF Investment Account	44,827,666.00	
0.00		g. SPF Investment Account	0.00	
0.00		h. Pension-cum-Gratuity Fund Investment Account	0.00	
<u>687,114,864.50</u>		TOTAL	<u>501,990,206.50</u>	

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
		SCHEDULE No. XXI		
		Cash Book Balance/Cash at Bank		
		A. Cash Book Balance		
-2,056,263,357.10		a. EPF Account No. 1	-1,297,345,747.15	
194,236,192.35		b. EPF Account No. 2	300,972,674.54	
-16,666,847.72		c. EPF Account No. 3	-1,963,357.55	
24,509,728.85		d. EPF Account No. 4	13,330,689.82	
75,622,420.96		e. EPF Account No. 5	35,272,579.59	
2,051,816.66		f. EPF Account No. 8	2,639,980.43	
76.09		g. EPF Account No. 9	866.19	
-13,090,075.63		h. Head Office	-32,524,469.59	
3,990,453.90		i. NATRSS	4,752,323.25	
9,513,043.15		j. EPF Appellate Tribunal	8,801,090.82	
-1,776,096,548.49		TOTAL (A) :	-966,063,369.65	
		B. Cash at Bank		
422,609,823.15		a. EPF Investment Account	988,340,804.13	
10,114.01		b. SPF Investment Account	22,926,802.77	
16,578.36		c. Pension-cum-Gratuity Investment Account	37,767,173.92	
422,636,515.52		TOTAL (B)	1,049,034,780.82	
-1,353,460,032.97		TOTAL (A) + (B)	82,971,411.17	
		SCHEDULE No. XXII		
		Sundry Debits :		
		A. Suspense (Unclassified) Account		
250,628,905.46		a. E.P.F	319,841,635.39	
75,832,905.65		b. Administration	53,588,299.34	
0.00		c. SPF	0.00	
3,604,637.84		B. Over Payments	4,508,601.18	
7,597,113.47		C. Irregular Payments	7,618,288.47	
320,901,272.95		D. Erroneous Debit to Account NO. 5		
		a. Excess accounted for by Regional offices as transfer to A/c No. 5 from A/c No. 1 & vice versa	325,000,869.95	
150,795,864.65		b. Extra debit made to Account No. 5	184,805,989.65	
0.00		E. Theft	0.00	
809,360,700.02		TOTAL	895,363,683.98	

EPF
India

**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995**

**EMPLOYEES' PENSION
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Contribution**

Previous Year	Sl. No.	RECEIPTS	Amount (Rs.)
337,325,613,995.90	1.	Opening Balance as on 01-04-2002	400,391,655,190.38
39,640,393,852.13	2. (i)	Contribution of Employers	43,878,434,524.81
4,850,000,000.00	(ii)	Contribution of Govt. 2002-2003	3,829,862,491.00
0.00	(iii)	Arrears of contribution of Govt up to the year 2001-2002	170,137,509.00
14,701,900,000.00	3.	Interest on the balance in the Public Account	16,482,600,000.00
29,020,973.88	4.	Interest on Saving Bank Account	41,785,803.16
21,655,381,397.84	5.	Interest received on Securities	25,447,035,132.01
	6.	Other Receipts :	
1,114,562,952.34	(a)	Regional Contribution Account No. 10	184,577,841.30
0.00	(b)	Central Contribution Account No. 11	0.00
419,316,873,172.09		TOTAL	490,426,088,491.66

**SCHEME - 1995
FOR THE YEAR 2002-2003
Account)**

**EPF
India**

Previous Year	Sl. No.	PAYMENTS	Amount (Rs.)
	1.	Amount paid to outgoing members/beneficiaries :	
0.00	(a)	Amount of Employee's share with interest	0.00
6,391,719,631.55	(b)	Withdrawal/Retirement Benefits	7,888,397,079.40
1,522,010.00	(c)	Life Assurance Benefits	1,168,008.00
9,958,949,451.54	(d)	Pension	12,096,302,071.83
93,174,655.43	2.	Amount paid as commission for disbursement of Pension	152,489,952.52
491,509,277.34	3.	Amount paid towards Pension Fund Administrative expenses	0.00
0.00	4.	Amount of securities transferred on grant of exemption	0.00
1,048,551,460.52	5.	Amount Paid as accrued interest on purchase of securities	1,249,728,371.79
	6.	Other Payments :	
939,791,495.33	(a)	Regional Contribution Account No. 10	12,218,168.58
0.00	(b)	Central Contribution Account No. 11	0.00
400,391,655,190.38	7.	Closing Balance	469,025,784,839.54
419,316,873,172.09		TOTAL	490,426,088,491.66

Sd/-
(ANIRUDH RAI)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(AJAI SINGH)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Previous Year	Sl. No.	RECEIPTS	Amount (Rs.)
0.00	1.	Amount received from Government towards cost of administration 2002-2003	0.00
491,509,277.34	2.	Amount received from Pension Fund towards Administrative expenses	0.00
413,331,212.95	3.	Amount received from EPF Administration Account C/F	1,084,841,717.19
904,840,490.29		TOTAL	1,084,841,717.19

**SCHEME - 1995
FOR THE YEAR 2002-2003
Account)**

**EPF
India**

Previous Year	SL. No.	PAYMENTS	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
308,558,077.34	1.	Amount incurred from EPF Administration Account B/F as on 1.4.2002		413,331,212.95
	2.	Payment of Administration		
	(i)	Revenue Expenditure :		
291,775,317.80	(a)	Salaries	307,181,237.75	
48,030,249.77	(b)	Allowances & Honoraria	50,939,120.01	
8,121,624.70	(c)	Travelling Allowance & L.T.C	7,845,306.60	
82,283,436.37	(d)	Pension/Gratuity (Staff)	88,244,699.87	
229,358.32	(e)	SPF, DLI Benefits	115,204.00	
126,387,419.30	(f)	Other charges (Recurring and Non-recurring)	140,925,420.78	
742,624.64	(g)	Grant	1,488,208.62	
9,995,952.79	(h)	Maintenance and Repairs of Office Building/Staff Quarters etc.	6,915,133.42	
<u>567,565,983.69</u>		TOTAL	<u>603,654,331.05</u>	<u>603,654,331.05</u>
	(ii)	Capital expenditure : (Construction of office Building/Staff Quarters etc.)		67,856,173.19
<u>904,840,490.29</u>		TOTAL		<u>1,084,841,717.19</u>

Sd/-

(ANTRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' PENSION
BALANCE SHEET AS ON**

Previous Year	Sl. No.	LIABILITIES	Sch. No	Amount (Rs.)
400,391,655,190.38	1.	Employees' Pension Fund Contribution Account.		469,025,784,839.54
413,331,212.95	2.	Employees' Pension Fund Admn. Account : Amount incurred from EPF Administration Account		1,084,841,717.19
-6,144,553,807.64	3.	Investment Fluctuation Account		-13,064,407,262.14
687,645,535.35	4	Sundry Credits	1	516,946,492.40
395,348,078,131.04		TOTAL		457,563,165,786.99

SCHEME-1995
31ST MARCH, 2003

EPF
India

Previous year	SL. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)
190,193,820,291.86	1.	Employees' Pension Fund Contribution Investment Kept in Deposit with public account	II	210,676,420,291.86
200,304,346,483.19	2.	Investment in Securities	III	239,775,628,543.64
	3.	Employees' Pension Fund Administration Account		
0.00	a)	Amount recoverable from Central Government		0.00
413,331,212.95	b)	Amount recoverable from Pension Fund		1,084,841,717.19
2,407,762,811.89	4.	Cash Book Balance/ Cash at Bank	IV	4,645,714,116.44
774,495,027.84	5.	Remittances in transit		324,544,689.84
1,254,322,303.31	6.	Sundry Debits	V	1,056,016,428.02
395,348,078,131.04	TOTAL			457,563,165,786.99

<u>Previous Year</u>	<u>Foot Note</u>	<u>Current Year</u>
Rs.30,228.04 lakh	(i) Pension contribution due from employers of exempted and unexempted establishment as on 31.3.2003	Rs.34,295.43 lakh
Rs. 670,150,884.57	(ii) Pension Contribution due from Government as on 31-3-2003	Rs. 1,084,841,717.19
Rs. 413,331,212.95	(iii) Pension Administrative cost	Rs. 2,280,459,723.74
	(iv) The investment in securities are shown in Balance Sheet at Face Value.	
	(v) The accounts have been compiled on actual basis.	

Sd/-

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAY SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
		SCHEDULE No. I		
		Sundry Credits		
362,748,977.47		1. Account No. 10	272,454,626.52	
324,896,557.88		2. Account No. 11	244,491,865.88	
<u>687,645,535.35</u>		BALANCE	<u>516,946,492.40</u>	
		SCHEDULE No. II		
		Amount kept in deposit with Public Account		
170,641,920,291.86		Balance as per last Balance Sheet	190,193,820,291.86	
		Add :		
	0.00	(i) Amount deposited in Public Account during the year		0.00
	0.00	(ii) Arrears of Govt. Share upto 2001-2002	170,137,509.00	
4,850,000,000.00		(iii) Govt. share of Contribution 2002-2003	3,829,862,491.00	
14,701,900,000.00		(iv) Interest on Public Account	16,482,600,000.00	
<u>190,193,820,291.86</u>		BALANCE	<u>210,676,420,291.86</u>	

2001-2002		SCHEDULE No. III	2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
		Investment in securities		
		A. Securities purchased Centrally		
161,522,062,858.09		Balance as per last Balance Sheet	200,304,346,483.19	
		Add		
48,853,544,232.50		1. Amount Invested Centrally (Cost Price)	64,090,125,514.95	
-3,560,110,607.40		2. Gain/loss on purchase of Securities	-6,919,853,454.50	
<u>206,815,496,483.19</u>		TOTAL	<u>257,474,618,543.64</u>	
		Less		
0.00		1. Gain/Loss on Sale of Securities	0.00	
6,511,150,000.00		2. Securities redeemed during the year	17,698,990,000.00	
<u>6,511,150,000.00</u>		TOTAL	<u>17,698,990,000.00</u>	
<u>200,304,346,483.19</u>		BALANCE (A)	<u>239,775,628,543.64</u>	
		B. Securities transferred by Regions		
0.00		Balance as per last Balance Sheet	0.00	
		(Accepted Value)		
		Add :		
0.00		1. Securities received (Accepted Value)	0.00	
0.00		2. Other adjustment	0.00	
0.00		TOTAL :	0.00	
		Less :		
0.00		Securities returned to establishments	0.00	
		(Accepted Value)		
0.00		BALANCE (B)	0.00	
<u>200,304,346,483.19</u>		TOTAL (A+B)	<u>239,775,628,543.64</u>	

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
		SCHEDULE No. IV		
		Cash Book Balance/ Cash at Bank		
1,616,083,425.60		1. Account No. 10	2,129,982,465.75	
95,289,859.10		2. Account No. 11	33,140,878.23	
696,389,527.19		3. Balance with SBI Mumbai	2,482,590,772.46	
<u>2,407,762,811.89</u>		BALANCE	<u>4,645,714,116.44</u>	
		SCHEDULE No. V		
		Sundry Debits		
1,108,562,314.50		1. Account No. 10	897,756,437.21	
145,759,988.81		2. Account No. 11	158,259,990.81	
<u>1,254,322,303.31</u>		BALANCE	<u>1,056,016,428.02</u>	

EPF
India

**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
INSURANCE SCHEME, 1976**

Previous Year	Sl. No.	RECEIPTS	Amount (Rs.)
27,916,230,614.59	1.	Opening Balance as on 01-04-2002	31,479,015,425.38
1,534,719,437.06	2.	(a) Contribution of Employers	1,586,167,609.99
0.00		(b) Contribution of Govt. 2002-2003	0.00
2,037,600,000.00	3.	Interest on Investment in Public Account	2,210,800,000.00
528,635,043.32	4.	Interest on Investment in securities	677,047,343.98
1,442,453.58	5.	Interest on Savings Bank Account	1,724,660.29
13,948,065.00	6.	Penal Damages	16,652,529.11
	7.	Other Receipts	
47,377,352.40	a)	Account No. 21	16,077.38
0.00	b)	Account No. 25	0.00
32,079,952,965.95		TOTAL	35,971,423,646.13

**INSURANCE SCHEME - 1976
FOR THE YEAR 2002-2003
Account)**

**EPF
India**

Previous Year	SL. No.	PAYMENTS	Amount (Rs.)
519,958,890.00	1.	Assurance benefits	545,257,827.50
0.00	2.	Amount refunded to employers on grant of exemption	0.00
32,979,878.57	3.	Amount Paid as accrued interest on purchase of securities	32,343,540.54
47,998,772.00	4.	Other Payments	
0.00	a)	Account No. 21	237,107.00
	b)	Account No. 25	0.00
31,479,015,425.38	5.	Closing Balance	35,393,585,171.09
32,079,952,965.95		TOTAL	35,971,423,646.13

Sd/-
(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Administration)**

Previous Year	Sl. No.	RECEIPTS	Amount (Rs.)
6,665,870,425.82	1.	Opening Balance as on 01-04-2002	7,336,735,684.82
56,647,542.18	2.	Administrative charges received from employers during the year	58,665,030.71
18,434,469.53	3.	Inspection Charges received	18,738,712.65
1,050,149.73	4.	Penal Damages received	1,017,313.65
0.00	5.	(a) Govt. Shares arrears upto 2001-2002	0.00
0.00		(b) Amount received from Govt. towards cost of Administration of the Fund for the year 2002-2003	0.00
0.00	6.	(a) Interest received on Investment from Administration Account	0.00
632,418,609.00		(b) Interest on Special Deposit Account	696,685,619.00
67,199.33		(c) Interest on S.B. Account	98,941.28
0.00		(d) Interest on Advances	0.00
1,882,157.43	7.	Other receipts	
0.00		a) Account No. 22	566,956.78
		b) Account No. 24	0.00
7,376,370,553.02		TOTAL	8,112,508,258.89

**INSURANCE SCHEME - 1976
FOR THE YEAR 2002-2003
Account)**

**EPF
India**

Previous Year	SL. No.	PAYMENTS	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
	1.	Payment on Administration :		
	(a)	Revenue Expenditure :		
18,235,957.36	(i)	Salaries	19,198,827.36	
3,001,890.62	(ii)	Allowances & Honoraria	3,183,695.00	
507,601.54	(iii)	T.A. and L.T.C	490,331.66	
5,142,714.77	(iv)	Pension/Gratuity (Staff)	5,515,293.74	
14,334.90	(v)	Staff Provident Fund DLI Benefits	7,200.25	
7,899,213.69	(vi)	Other charges (Recurring and Non-recurring)	8,807,838.80	
46,414.04	(vii)	Grants	93,013.04	
624,747.05	(viii)	Maintenance and Repairs of Office Building/Staff Quarters etc.	432,195.84	
<u>35,472,873.97</u>		TOTAL	<u>37,728,395.69</u>	37,728,395.69
1,794,776.83	(b)	Capital Expenditure : (Construction of office building/Staff quarters etc.)		4,241,010.82
2,367,217.40	2.	Other Payments		
0.00		Account No. 22		59,611.00
7,336,735,684.82		Account No. 24	--	0.00
	3.	Closing Balance		8,070,479,241.38
<u>7,376,370,553.02</u>		TOTAL		8,112,508,258.89

Sd/-

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
BALANCE SHEET AS ON**

Previous Year	Sl. No.	LIABILITIES	Sch. No.	Amount (Rs.)
31,479,015.425.38	1.	Employees' Deposit Linked Insurance Fund Account		35,393,585,171.09
7,336,735.684.82	2.	Employees' Deposit Insurance Fund Adm. Account		8,070,479,241.38
-180,763,698.33	3.	Investment Fluctuation Account		-386,141,713.13
222,934,392.62	4.	Sundry Credits	1	223,061,209.00
38,857,921,804.49		TOTAL		43,300,983,908.34

INSURANCE SCHEME - 1976
31ST MARCH, 2003

EPF
India

Previous Year		SL. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)	
Rs.	P.				Rs.	P.
		1.	Investment Account :			
		(a)	Employees' Deposit Linked Insurance			
5,238,854,056.67		(i)	Investment in Securities	II	6,632,216,209.05	
26,009,214,794.14		(ii)	Deposit in Public Account	III	28,220,014,794.14	
		(b)	Employees' Deposit Linked Insurance			
			Adm. Fund Account :			
7,329,101,026.23		(i)	Amount invested in deposits	IV	8,100,416,645.23	
-10,047,650.80		(ii)	Amount due from E.P.F. Adm. Account	V	-44,237,057.31	
34,222,065.59		2.	Cash Balance	VI	143,952,627.37	
171,316,142.07		3.	Remittances in transit	VII	150,758,036.43	
85,261,370.59		4.	Sundry Debits	VIII	97,862,653.43	
38,857,921,804.49			TOTAL		43,300,983,908.34	

Previous Year

Foot Note :

Current Year

Rs. 2,319.54 Lakh

1. E.D.L.I. Contribution due from employers as on 31-3-2003

Rs. 2,612.56 Lakh

Rs. 375.47 Lakh

2. E.D.L.I. Adm. and Inspection charges due from employers as on 31-3-2003

Rs. 317.61 Lakh

3. The investment in securities are shown in the Balance Sheet at Face Value.

4. The accounts have been compiled on actual basis.

Sd/-

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
		SCHEDULE No. I		
		Sundry Credits		
30,930,990.82		1. Excess credit in A/c No. 21	33,265,273.76	
116,891,885.73		2. Excess credit in A/c No. 25	113,793,585.73	
1,344,061.55		3. Excess credit in RBI A/c	1,344,061.55	
15,792,754.88		4. Excess credit in A/c No. 22	15,492,395.41	
57,974,699.64		5. Excess credit in A/c No. 24	59,165,892.55	
<u>222,934,392.62</u>		BALANCE	<u>223,061,209.00</u>	
		SCHEDULE No. II		
		A. Securities Purchased Centrally		
3,858,066,460.81		Balance as per last Balance Sheet	5,238,854,056.67	
		Add :		
1,529,039,940.56		1. Amount invested centrally (Cost Price)	2,054,240,167.18	
-113,252,344.70		2. Gain/Loss on purchase of securities	-205,378,014.80	
<u>5,273,854,056.67</u>		TOTAL	<u>7,087,716,209.05</u>	
		Less :		
0.00		1. Gain/Loss on sale of securities	0.00	
35,000,000.00		2. Securities redeemed during the year	455,500,000.00	
<u>35,000,000.00</u>		TOTAL	<u>455,500,000.00</u>	
<u>5,238,854,056.67</u>		BALANCE (A)	<u>6,632,216,209.05</u>	
		B. Securities transferred by Regions		
0.00		Balance as per last Balance Sheet	0.00	
		(Accepted Value)		
		Add :		
0.00		1. Securities received (Accepted Value)	0.00	
0.00		2. Other adjustments	0.00	
<u>0.00</u>		TOTAL	<u>0.00</u>	
		Less :		
0.00		Securities returned to Establishments	0.00	
		(Accepted Value)		
<u>0.00</u>		BALANCE (B)	<u>0.00</u>	
<u>5,238,854,056.67</u>		BALANCE (A+B)	<u>6,632,216,209.05</u>	

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
SCHEDULE No. III				
Amount Deposited in Public A/c				
23,971,614,794.14		Balance as per last Balance Sheet	26,009,214,794.14	
	0.00	1. Deposits made during the year		0.00
	0.00	2. Govt share of contribution 2002-2003		0.00
	0.00	3. Govt. share arrears upto 2001-2002		0.00
2,037,600,000.00		4. Interest on balance in Public Account	2,210,800,000.00	
<u>26,009,214,794.14</u>		BALANCE	<u>28,220,014,794.14</u>	
SCHEDULE No. IV				
Amount Invested				
6,659,593,417.23		Balance as per last Balance Sheet	7,329,101,026.23	
		Add :		
37,089,000.00		a) Amount deposited during the year	74,630,000.00	
632,418,609.00		b) Interest on SDA during the year	696,685,619.00	
<u>7,329,101,026.23</u>		TOTAL	<u>8,100,416,645.23</u>	
		Less :		
	0.00	Amount redeemed during the year		0.00
<u>7,329,101,026.23</u>		BALANCE	<u>8,100,416,645.23</u>	
SCHEDULE No. V				
Amount due from EPF Admn. A/c				
		a) Transaction in A/c No. 24		
		Balance as per last Balance Sheet	-10,047,650.80	
		Add :		
		During the year	7,780,000.00	
-19,579,588.39		BALANCE	<u>-2,267,650.80</u>	
46,799,588.39		b) Transaction in A/c No. 22		
<u>27,220,000.00</u>		Amount transferred (Adm. Exp. Share)	-41,969,406.51	
		BALANCE (a+b)	<u>-44,237,057.31</u>	
-37,267,650.80				
<u>-10,047,650.80</u>				

2001-2002			2002-2003	
Rs.	P.		Rs.	P.
		SCHEDULE No. VI		
		Cash Book Balance/ Cash at Bank		
26,743,367.02		1. Account No. 21	46,116,623.76	
3,714,631.91		2. Account No. 25	220,446.10	
-556,737.26		3. Account No. 22	-858,295.23	
944,516.99		4. Account No. 24	704,929.55	
3,376,286.93		5. Balance with SBI, Mumbai	97,768,923.19	
<u>34,222,065.59</u>		BALANCE	<u>143,952,627.37</u>	
		SCHEDULE No. VII		
		Remittances in Transit		
147,523,669.79		1. From A/c No. 21 to 25	128,124,741.79	
532,224.15		2. From Bank to A/c No. 25	532,224.15	
23,260,248.13		3. From A/c No. 22 to 24	22,101,070.49	
<u>171,316,142.07</u>		BALANCE	<u>150,758,036.43</u>	
		SCHEDULE No. VIII		
		Sundry Debits		
32,245,845.03		1. Account No. 21	33,617,157.31	
14,523,310.50		2. Account No. 25	26,544,780.50	
10,411,561.32		3. Account No. 22	9,856,346.88	
28,080,653.74		4. Account No. 24	27,844,368.74	
<u>85,261,370.59</u>		BALANCE	<u>97,862,653.43</u>	

Audit Certificate

I have examined the Receipt and Payment Account, Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2003 and the Balance Sheet as on 31st March 2003 of the Employees' Provident Fund Organisation. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations to the appended Audit Report which, *inter alia*, contains the following major audit observations, majority of which have been persistent over the year: -

- (i) Correctness of figures of 'Assets Acquired' and 'Advances paid' could not be verified as due to non-recording of assets acquired in Asset Register. Verification of Investments also could not be done, as reconciliation of figures shown in the Balance Sheet and figures booked by the PAO, Ministry of Labour was not conducted (Para 4.2)
- (ii) An amount of Rs. 205 lakh wrongly credited by the bank, pertaining to the period 1993-94 to 2002-03 have not been adjusted so far. (Para 4.7)
- (iii) There was huge amount of erroneous debits, erroneous credits and missing credits which could not be verified in audit as year-wise details were not made available (Para 4.4)
- (iv) Remittances in Transit at the close of financial year are adjusted in the next financial year. However, Rs. 9772.93 lakh are outstanding under this head in the different accounts for periods prior to financial year 1997-98 (Para 4.3)
- (v) Rs. 100.89 lakh has been shown under head 'Group Insurance Scheme (old)' on liability side of Balance Sheet, however, this scheme has been discontinued and amount has already been paid to entitled staff member (Para 4.6)
- (vi) There was a credit balance of Rs. 831312 lakh in Interest Suspense Account to be credited/debited to the accounts of subscribers which has increased substantially over the past years. (Para 4.9).

I certify, as a result of my audit that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up, so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Employees' Provident Fund Organisation accordingly to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the Organisation.

Place: New Delhi
Date: 24.06.04

Sd/-
Director General of Audit
Central Revenues

**Audit Report on the accounts of
Employees' Provident Fund Organisation for the year 2002-2003**

AUDIT REPORT – OBSERVATIONS	COMMENTS OF THE ORGANISATION
<p>1. <u>Introduction</u></p> <p>The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) came into existence in 1952 following the enactment of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The Act was further amended in 1971, 1976 and 1995 to provide adequate and long-term protective benefits to the families of the employees in the event of their premature death. The Family Pension Scheme (FPS) and the Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme came into force with effect from 1.3.71 and 1.8.1976 respectively. The Family Pension Scheme, 1971 ceased after 15.11.95 and the entire corpus of the Family Pension Scheme was merged with the Employees' Pension Scheme, 1995.</p>	<p>No Comments, being factual.</p>
<p>2. <u>Objectives</u></p> <p>2.1 The objectives of the Organisation are to extend Social Security benefits to the working class in the form of Provident Fund, Pension and Insurance benefits. The broad functions of the Organisation to fulfill these objectives are:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Enforcement of provisions of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 b. Recovery and management of money held in trust and c. Providing satisfactory services to the members of the Schemes. 	<p>No Comments, being factual.</p>
<p>2.2 The three Schemes viz. The Employees' Provident Fund Scheme, Pension Scheme and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme are administered by the Central Board of Trustees, a tripartite body headed by the Union Labour Minister. It comprises of representatives of Central/State Government, Employers and Employees.</p>	<p>No Comments, being factual.</p>
<p>2.3 Under the Employees' Provident Fund Scheme, employees are to contribute 10 per cent or 12 per cent of their pay (based on class of establishment) matched by similar contribution from their employers. The money is deposited with the Employees' Provident Fund Organisation where it is invested as per pattern of investment prescribed by the Government. As on 31st March 2003 the amount of Employees' Provident Fund invested stands at Rs. 65,34,716.16 lakh.</p>	<p>No Comments, being factual except that out of the contribution of the employer, 8.33% is diverted to Pension Fund, while balance remains with the Provident Fund.</p>
<p>2.4 The Employees' Pension Scheme, 1995 is financed through contribution from the employers at the rate of 8.33 per cent of the pay of employees and the Central Government also contributes 1.16 per cent of the pay of the employees. The Central Government share and interest on the investment in Public Account is reinvested in the Public Account. After providing for annual benefits, the surplus, if any, is invested as per the pattern of investment</p>	<p>No Comments, being factual.</p>

<p>prescribed under para 52 of EPF Scheme. The corpus of this Scheme as on 31st March 2003 stands at Rs. 21,06,764.20 lakh in Public Account and Rs. 23,97,756.29 lakh in securities.</p>	
<p>2.5 The Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 is financed by contribution from employers @ 0.5 per cent of their employees pay. Under this Scheme, benefits are available to the family members of the subscribers who die in harness. The balance in this account invested as on 31st March, 2003 stands at Rs. 2,82,200.15 lakh in Public Account and Rs. 66,322.16 lakh in securities.</p> <p>The administrative expenses of the Organisation are financed by separate contributions from the employers.</p> <p>The administrative expenditure of EPF Scheme is met by levy of separate contributions on the Employers @ 0.65 percent of wages from un-exempted establishment and @ 0.09 percent of wages as inspection charges from exempted establishment. These rates have been revised to 1.10 percent and 0.18 percent respectively with effect from 1st August 1998</p> <p>The administrative expenses of EDLI Scheme are met by contribution @ 00.01 per cent of wages of employees by the employers of unexempted establishments and @ 0.005 per cent of wages towards inspection charges from exempted establishments.</p> <p>The administrative expenses of Employees' Pension Scheme, 1995 are reimbursed in full by the Pension Fund of the Employees' Pension Scheme, 1995.</p> <p>The audit of the Organisation is conducted under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with provision contained in section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952.</p>	<p>No Comments, being factual.</p>
<p>3. <u>Format of Accounts</u></p> <p>The accounts of the EPFO are being maintained in the format of accounts prescribed in the Gazette Notification dated 21/12/1992. In 1995, Employees' Family Pension Scheme was replaced by the Employees' Pension Scheme 1995, accounts of which are being maintained in the format prescribed for Employees' Family Pension Scheme. The concurrence of C&AG of India for the new format is yet to be obtained.</p> <p>EPFO stated that the matter relating to the approval of format of accounts is directly dealt by the Ministry of Labour with the C& AG of India. The Organisation has reminded the Ministry to get format of accounts in respect of Employees' Pension Scheme, 1995 and EDLI Scheme, 1976 approved by the C&AG of India on 1st October 2003.</p>	<p>No Comments, being factual except that at the instance of Ministry of Labour, Govt. of India vide letter No. G-20017/3/97-SS.II dated 21.8.1997, certain changes were effected in the format of account prescribed for FPS, 1971 and the amended format was sent to ministry, vide this office letter No. BSC.6(5)/97/1359 for forwarding it to CAG for approving it as the format of account for EPS, 1995 in which current year's account has been prepared.</p>

4 Comments on Accounts

4.1 Difference in certified figures for Tamil Nadu Region and figure actually submitted to Headquarters.

An amount of Rs. 45,000 has been shown under the head 'Benevolent Fund' in the Expenditure side of the Income & Expenditure account, in the certified figures for Tamil Nadu Region but the figure submitted to Headquarters under the head was NIL.

This resulted in understatement of expenditure by Rs. 0.45 lakh and over statement of liabilities by Rs. 0.45 lakh.

Appropriate measures will be taken in next year's Final Accounts on the basis of facts.

4.2 Unverified Assets

(i) In the Employees' Provident Fund Scheme Balance Sheet, Rs 20794.19 lakh on account of Assets acquired and Rs 8460.34 lakh on account of Advances paid were shown under the head "Land and Building". No entries of assets acquired during the year were found recorded in the 'Register of Assets'. Hence, correctness of the figures shown in the Balance Sheet could not be verified.

EPFO replied (January 2004) that the process of verification and consolidation of figures of acquisition of Assets takes considerable time and figures of ten regions stand reconciled upto 31.3.03. Reply is not tenable, as all the assets acquired during the year must be accounted for during the same year to present a true and fair view of the Balance Sheet.

As per the Manual provisions, the Regional offices as well as the Corporate Headquarters keep the details of their assets in a register called 'Asset register' and there is nothing like 'Land and Building Register'. The figures with regard to acquisition of assets and advances paid in respect of Regional Offices, which are audited by the A.G.s of their states, are sent to Corporate Headquarters for verification and consolidation. This process takes considerable time as Regional offices sometimes do not have to pay exactly same amount as has been sent to them by the Headquarters. However, the figures of ten Regions stand reconciled upto 31.3.2003 and corroborate the actual acquisition amount / advances paid.

(ii) Investment of Rs. 21,06,764.20 lakh of EPS, 95 and Rs. 2,82,200.15 lakh of EDLI, 76 have been shown under the head "Deposit in Public Account" on the Assets

The Govt. of India credits interest in Public Account

side of the respective Balance Sheets. These figures are required to be reconciled with the PAO, Ministry of Labour. Figure booked by the PAO were not available with the EPFO. In the absence of reconciliation, correctness of these assets could not be verified.

EPFO replied in (January 2004) that the Govt. of India credited interest in Public Account every year on the balances shown by EPFO in its Balance Sheet and no further confirmation from PAO was required. The reply is not tenable as the amount shown in Balance Sheet under the head 'Deposit in Public Account' as an asset is required to be confirmed from PAO for the purpose of certification of accounts.

every year on the balance shown by EPFO in its Balance Sheet. Thus, the balance shown in Public Account as on 31.3.2003 is confirmed by the Central Government and requires no further reconciliation. This can be verified from the fact that EPFO in its letter No. Budget 7(2)96/PS dated 8th October 2002 claimed a sum of Rs. 1648.26 crores as interest on Pension Fund kept in Public Account for the year 2002-03 on the basis of the Opening Balance of the Public Account shown in the Balance Sheet of the Organisation as on 1.4.2002, which the Ministry of Labour has accordingly sanctioned and conveyed vide their letter No. G-20015/1/2002-SS-II dated 20th March 2003.

4.3 Remittance in transit

Amount transferred from one account to another account or amount wrongly credited by the bank in different accounts at the close of the financial year, is credited to the concerned accounts in the next financial year. Till it is not transferred/ credited in the account to which it belongs, it is classified under the head "remittances in transit".

Against Remittance in Transit, in Balance Sheet of the Employees' Provident Fund Scheme, Employees' Pension Scheme and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, amounts shown were Rs. 5019.91 lakh, Rs. 3245.44 lakh and Rs. 1507.58 lakh respectively, year wise break-up of which is given below.

The implementation of the provisions of EPF & MP Act, 1952 and three schemes framed there under, is done through a network of 106 field offices called ROs, SROs and SAOs. The nature of the business activities of the Organisation requires huge financial transactions. In such a scenario, remittances in transit towards the close of the year are unavoidable. The amount in transit is inherent in the system as the amount transferred during the last week of March is credited

a) Employees' Provident Fund Scheme

(Rs. in lakh)

Year	Account No.4	Account No.5	Account No.8	Account No.4 A	EPF Investment A/c	Total
1	2	3	4	5	6	7
Upto 97-98	281.55	1,926.08	139.49	-	448.28	2,795.40
1998-99	135.53	60.00	98.27	-	-	293.80
1999-00	158.14	21.00	67.06	-	-	246.20
2000-01	407.21	30.00	54.85	-	-	492.06
2001-02	205.58	245.00	0.06	-	-	450.64
2002-03	335.79	360.00	45.84	0.18	-	741.81
Total	1,523.80	2,642.08	405.57	0.18	448.28	5,019.91

b) Employees' Pension Scheme

(Rs in lakh)

Year	Remittances in transit
Upto 1997-98	2,036.44
1998-99	205.00
1999-00	0.00
2000-01	0.00
2001-02	-91.00
2002-03	1,095.00
Total	3,245.44

to the account in the next financial year. Therefore, there cannot be a Nil balance in the Account. Some times credit is given in the wrong account and that amount is also shown as amount in transit. The amount in transit is constantly monitored and the details are furnished to the Region for taking up the matter with the Bank for credit of the amount. As a result of constant monitoring, amount in transit in respect of EPF, EPS & EDLI schemes has reduced by 27%, 58% & 12% respectively as compared to previous year.

c) Employees' Deposit Linked Insurance Scheme

(Rs in lakh)

Year	Account No.24	Account No.25	R.B.I.	Total
Upto 1997-98	175.21	980.31	5.32	1,160.84
1998-99	6.68	70.86	-	77.54
1999-00	8.21	-3.69	-	4.52
2000-01	7.92	91.25	-	99.17
2001-02	4.53	34.00	-	38.53
2002-03	18.46	108.52	-	126.98
Total	221.01	1,281.25	5.32	1,507.58

Due to non-clearance of the above transitory head, actual balances in the accounts mentioned below could not be ascertained.

EPFO replied (January 2004), that the remittances in transit towards the close of the year are un-avoidable and remittances in transit are constantly monitored by the Organisation. Reply is not tenable as the amount under the head 'Remittances in transit' also include old remittances since prior to 1997-98.

4.4 Unverified erroneous entries

Amount belonging to one account may erroneously be credited/debited into another account by the bank. In the receipt and payment accounts of the following accounts, erroneous debits/excess credits/missing credits were shown:

Account No.	(Rupees)		
	Erroneous debit by Bank	Excess credit	Missing credit
	Amount	Amount	Amount
5	1510127.00	590015.00	36000075.00
8	-	755641.00	-4584308.00
9	-	1933787.00	-
11	2500002.00	13681359.00	-90500281.00
24	-	8105806.00	-1907658.00
25	-	4205048.00	-10851528.00
TOTAL	4010129.00	29271656.00	-71843700.00

Erroneous debit/credit in account nos. 10, 21 & 22 are as under.

Account No.	(Rupees)	
	Erroneous Credit	Erroneous debit
10	272454626.52	897756437.21
21	33265273.76	33617157.31
22	15492395.41	9856346.88

In the absence of year-wise details and non-adjustment of erroneous debits/credits/missing credits, actual balances in the above account could not be ascertained.

EPFO stated (January 2004), that the efforts are being made to reconcile the amounts with the bank. It was also stated that the missing credit stood at Rs. 1438.44 lakh. The fact remains that huge amounts as shown above still remain to be reconciled in different accounts.

The reconciliation of these figures is a continuous process and the efforts are accordingly underway to reconcile the figures with the Bank. As a result, the Erroneous debit has come down to Rs. 40.10 lakh from Rs. 95.00 lakh and Excess credit to Rs. 292.71 lakh from Rs. 1850.12 lakh compared to last year. The figure of missing credit as reported in observation is not correct. In fact, the missing credit has also reduced from Rs. 7665.46 lakh during the last year to Rs. 1438.44 lakh.

Since the item-wise details of erroneous debits/credits in these accounts are available with field offices of the Organisation only, they have been directed to clear them on priority basis. Progress in this respect is being monitored by the Headquarters.

4.5 Understatement of Liabilities

Balance Sheet of Employees' Provident Fund Scheme, Employees' Pension Scheme and EDLI Scheme revealed minus balances of Rs. 14863.26 lakh, Rs. 130644.07 lakh and Rs. 3861.42 lakh respectively under the head "Investment Fluctuation Account" on the liability side. Instead of exhibiting minus balances in liabilities side these balances should have been depicted on the assets side of the respective Balance Sheets. Non-depiction of these minus balances on assets side of the Organisation resulted into understatement of liabilities by Rs. 149368.75 lakh.

A liability by virtue of minus balance cannot be shown on assets side due to rigidity of the Format of Accounts approved by the CAG of India. Acceptance of the observation of the

<p>EPFO replied (January 2004), that liability by virtue of minus balances cannot be shown on assts side due to rigidity of the Format of Accounts.</p> <p>It is imperative that in order to present a true and fair view of state of affairs of business, EPFO should switch to new format of accounts prescribed by the Govt. of India for Central Autonomous Bodies.</p>	<p>Audit will require prior approval of the Central Govt. and CAG of India as it may result in fundamental changes in the present format of final accounts.</p>
<p>4.6 Unverified liabilities</p> <p>Rs. 100.89 lakh has been shown under the head "Group Insurance Scheme (old)" on the liability side of the Balance Sheet of the Organisation. This scheme has been discontinued and amount has been already paid to the entitled staff members by the Regional Offices and was to be reimbursed on by EPFO headquarters.</p> <p>EPFO replied (January 2004), that the dues are to be reimbursed to Regional Offices/Sub Regional Offices after receipt of debit notes from them.</p> <p>Above observation was also made in the previous Audit Report, but no efforts were made by the EPFO headquarters to reimburse the above amount to the concerned Regional Offices.</p>	<p>Sum of Rs. 100.89 lakh is Organisation's liability towards final settlement under GIS (Old). In fact, the dues have already been paid to the entitled staff members by respective ROs/SROs. These amounts are to be reimbursed to the ROs/SROs after receipt of debit notes from them. The ROs/SROs have been asked finally to furnish the same by 31st March 2004.</p>
<p>4.7 Bank Reconciliation</p> <p>Scrutiny of Bank Reconciliation Statements of Employees' Provident Fund Organisation (Central Office) revealed the following shortcomings: -</p> <p>(a) Cheques amounting to Rs. 570.8 lakh were issued but not presented in the bank for payment. The oldest cheque pertains to 1999-2000.</p> <p>(b) Cheques amounting to Rs. 0.90 lakh were deposited in the bank but not credited in the account.</p>	<p>The cheques amounting to Rs. 568,72,841.00 have since been cleared. Most of the balance amount pertains to time-barred cheques for which efforts are on to seek No -Payment Certificate from bank to cancel them.</p> <p>Credit of the cheques amounting to Rs. 21,922.00 has already been received. Reconciliation of the balance amount is underway.</p>

<p>(c) Bank had wrongly debited an amount of Rs. 3.37 lakh. The amount, which pertains to September 1993, has not yet been reconciled & verified.</p> <p>(d) An amount of Rs. 205 lakh wrongly credited by bank, pertaining to the period 1993-94 to 2002-03 have not been adjusted so far.</p> <p>EPFO replied (January 2004) that: -</p> <p>a) Cheques amounting to Rs. 568.73 lakh have since been cleared.</p> <p>b) Credit of cheques amounting to Rs. 0.22 lakh has been received, reconciliation of the amount is under way.</p> <p>c) Month of wrongly debited/credited amount has been taken up with the bank and</p> <p>d) Erroneous credit amounting to Rs. 164.88 lakh has been reconciled and the reconciliation of the balance amount is under way.</p>	<p>The matter has been taken up with SBI, New Delhi to clear the position regarding wrong credit and debit by the bank.</p> <p>Out of the said erroneous credit, the amount of Rs.164,87,690.00 has been reconciled while the reconciliation of the balance amount is underway.</p>
<p>4.8 Excess depiction of receipts</p> <p>“Account No. 4-EPF Central Administration Account” is fed by transfer of funds from “Regional Administration Account NO. 2” of all the Regional Offices/Sub-Regional Offices. Interest earned, and maturity proceeds realised, if any, from the investment of surplus administration fund are also credited to this account. “Account No. 4-A Central Office Administration Account” is operated by the Central Office to meet its requirement of funds, is fed by transfer of funds from account no. 4.</p> <p>In the Income and Expenditure statement of Account No. 4, amount transferred to Account No. 4-A was shown Rs. 3127.73 lakh. This amount was also to be shown as receipt from Account No. 4 in the Receipts and Payment Account of Corporate Headquarters. In the Receipt and Payment account of Corporate Headquarters, receipts from Account No. 4 was shown Rs. 3156.43 lakh i.e. excess by Rs. 28.70 lakh, details for which were not furnished to audit.</p> <p>EPFO stated (January 2004) that the amount of Rs. 28.70 lakh related to two transfers from Account No. 4 to 4-A amounting to Rs. 50,00,000 dated 26.3.2001 (credited on 2.4.2003) and Rs. 21,29,600 dated 20.3.03 (credited on 5.4.2003) in transit during the close of year 2001-02 and 2002-03 respectively. The first amount has already been accounted for in the balance sheet for the year 2002-03 while second one will be adjusted in the balance sheet for the year 2003-04.</p>	<p>The difference amount of Rs. 28.70 lakh relates to two transfers from A/c No. 4 to A/c No. 4-A amounting to Rs. 50,00,000 dated 26.3.02 (credited on 2.4.2002) and Rs. 21,29,600 dated 20.3.03 (credited on 5.4.2003) in transit during the close of year 2001-02 and 2002-03 respectively. The first amount has already been accounted for in the balance sheet for the year 2002-03 while second one will be adjusted in the balance sheet for the year 2003-04.</p>
<p>4.9 Interest Suspense Account</p> <p>The interest earned on Employees’ Provident Fund balance and the penal damages on belated contribution received from the Employers during the year are credited to</p>	<p>Out of Rs. 8313.12 crores. Rs. 5953.01 crores pertain</p>

Interest Suspense Account (a proforma account). Thereafter, while closing Annual Accounts, the interest is credited to the subscribers' account and the Interest Suspense Account is debited by the same amount. As on 31.3.2003, there was a credit balance of Rs.8,31,312 lakh in the Balance Sheet of Employees' Provident Fund Scheme. The year-wise position of interest suspense account for last 4 years from 1999-2000 onwards is given below :-

(Rs in lakh)

Year	Balance of the previous year	Interest earned during the year	Interest debited to suspense account	Closing Balance
1	2	3	4	5
1999-00	817,617	511,779	545,123	784,273
2000-01	784,273	562,809	544,859	802,223
2001-02	802,223	575,079	584,353	792,949
2002-03	792,949	595,301	556,938	831,312

EPFO replied (January 2004) that out of Rs. 831312 lakh, Rs. 595301 lakh pertains to interest earned during 2002-03, which was to be credited to members' account during next year. Every year some surplus is generated as the interest earning are in excess over the liabilities towards the interest to be credited to members' account. Small surplus of each year had developed into some surplus over the years.

The reply is not tenable as similar discrepancy was also pointed out in the previous Audit Reports yet closing balance of the current year increase to Rs. 831312 lakh as compared to the closing balance of Rs. 792949 lakh of the previous year.

to Interest earned during 2002-03, which is to be credited to members' accounts during next year. One year's earnings always remain as balance in the Interest Suspense Account in addition to the surplus in the Account. Every year some surplus is generated in Interest Suspense Account as the interest earnings are marginally in excess over the liabilities towards interest to be credited to the members' accounts. The small surplus of each year has developed into some surplus over the years. Moreover, interest is not credited to Unclaimed Deposit Account every year. It is calculated and credited on settlement only.

4.10 Understatement of Assets

Balance Sheet of EDLI Scheme revealed that minus balance of Rs. 442.37 lakh was shown under the head "Amount due from EPF Admn. Account" on its assets side. This minus balance should have been depicted on the liability side. This has resulted into understatement of assets and liabilities by Rs. 442.37 lakh.

An asset by virtue of minus balance cannot be shown on liability side due to rigidity of the format of Accounts approved by the CAG of India. Acceptance of the observation of the Audit will require prior approval of the Central Govt. and CAG of India as it may result in fundamental changes in the present format of final accounts

Minus balance under the head Group Insurance Scheme of Rs. 6.58 lakh has been depicted on liability side of the Balance Sheet of Central Office instead of showing this balance as asset. This has resulted into understatement of asset of the Organisation by Rs.6.58 lakh.

Above observations were also made in the previous Audit Reports, but no remedial action was taken.

In the balance sheet of Employees' Provident Fund Scheme of the Organisation, minus balance of Rs. 1.83 lakh has been shown under the head Group Insurance Scheme (New) on the liability side. Instead of exhibiting minus balance in liability side it should have been depicted on Assets side of the respective Balance Sheet. Non-depiction of this minus balance on the Assets side resulted into under statement of Assets by Rs. 1.83 lakh.

EPFO replied (January 2004), that treatment of minus balances were done as per the approved format of accounts.

The reply is not tenable as the Government of India, based on the recommendation of 'Committee on papers laid on the table of Parliament', has introduced a common format of accounts for the central autonomous bodies to bring about uniformity and transparency in the accounts. This format of accounts was required to be implemented from the accounting year 2001-02.

4.11 Over Payment/Irregular Payment

A. Over payments

Overpayments made to the members of the Employees' Provident Fund are exhibited under this head in the balance sheet of the Regions. Annual figures of all the Regions are shown in the consolidated balance sheet of the EPFO. The following amount has been booked under this head.

(Rupees)

Year	Opening Balance	Add Amount paid	Less Amount recovered	Closing Balance
1999-2000	1,437,672.78	511,662.00	270,179.65	1,679,155.13
2000-2001	1,679,155.13	1,019,885.67	706,593.25	1,992,447.55
2001-2002	1,992,447.55	3,515,708.39	1,903,518.10	3,604,637.84
2002-2003	3,604,637.84	1,599,175.84	695,212.50	4,508,601.18

The amount of over payments made during the year, as compared to the previous year, increased from Rs. 36.05 lakh to Rs. 45.09 lakh i.e. by Rs. 9.04 lakh.

The EPFO replied (January 2004), that the action was being taken to recover the amount overpaid. It was also stated that the regional offices have filed civil/criminal proceedings against the defaulters in some cases.

The consolidated balance sheet of the Organisation shows these balances correctly on liabilities side. Further, it is a contra entry thus it is incorrect to say that assets have been understated by Rs.6.58 lakh.

An asset by virtue of minus balance cannot be shown on liability side due to rigidity of the format of Accounts approved by the CAG. Acceptance of the observation of the Audit will require prior approval of the Central Govt. and CAG of India as it may result in fundamental changes in the present format of final accounts

Rs. 15.99 lakh were overpaid during 2002-03 while Rs. 6.95 lakh were recovered during same period. There is an internal mechanism for detecting over/irregular payments in the field units. After detection, the loss is made good by taking proportionate punitive actions against the responsible officials by the concerned unit. These payments are properly accounted for, and monitored through Over Payment Register and Over Payment Committee. Most of the amount under this

B. Irregular Payments

The amounts fraudulently paid by the Regional Offices are exhibited under this head in the balance sheet of the Regional Offices. Annual figures of all the Regions are shown in the consolidated balance sheet of the EPFO. The following amount has been booked under this head.

(Rupees)

Year	Opening Balance	Add Amount paid	Less Amount recovered	Closing Balance
1999-2000	7,216,036.47	-	-	7,216,036.47
2000-2001	7,216,036.47	381,077.00	-	7,597,113.47
2001-2002	7,597,113.47	-	-	7,597,113.47
2002-2003	7,597,113.47	21,175.00	-	7,618,288.47

The amount of fraudulent payments, as compared to the previous year, increased marginally. The EPFO has not been able to recover any amount for the last four year.

Similar observation was also made in the previous Audit Reports, but no corrective measures were taken up.

EPFO stated (January 2004), that the action was being taken to recover the amount.

head relates to the period prior to 1999-2000. The Regional Offices have filed civil suits/criminal proceedings against the employees of the organization as well as some of the outsiders involved in these payments for recovery of this amount. Investigations /cases are being followed up regularly by the Regional Offices concerned.

5. Non-depiction of dues in the foot note to the Balance Sheet

The following amounts have not been shown as foot note to the balance sheet of the Employees' Pension Scheme, 1995 and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme.

(Rs. In lakh)

EPS 1995

Penal damages due on EPS Rs. 3,772.80
Contribution as on 31.3.2003

EDLI Scheme

Penal damages due on EDLI Contribution, Rs. 525.88
Adm. Charges & Inspection Charges

EPFO replied (January 2004), that the required information was not depicted in the foot notes as these items were not the part of approved format of final accounts. Reply is not tenable as notes are required to be appended to the accounts to reflect the true and fair view of the financial position.

The required information has not been depicted in the foot-notes as these items are not part of approved formats of final accounts.

6. Miscellaneous

6.1 Outstanding Suspense Balances

An amount of Rs.6.59 lakh under the head 'Suspense Accounts' (Liability Side) and Rs. 0.78 lakh under the head 'Suspense Accounts Unclassified' (Asset Side) have been shown in the Balance Sheet of Central Office.

EPFO replied (January 2004), that the suspense (liability) of Rs. 5.26 lakh stands reconciled, and reconciliation of balance amount was underway.

The suspense (liability) of Rs. 5,25,927.00 stand reconciled. Reconciliation of the balance amount is underway.

6.2 Sundry Debits/Credits

In the balance sheet of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, Employees' Pension Scheme, 1995 and Employees' Deposits Linked Insurance Scheme, 1976 following amounts have been shown under the heads Sundry Credits/Debits.

(In Rupees)

Scheme	Sundry Credit	Sundry Debit
EPFS, 1952	1,03,09,00,757.13	89,53,63,683.98
EPS, 1995	51,69,46,492.40	1,05,60,16,428.02
EDLIS, 1976	22,30,61,209.00	9,78,62,653.43
Total	177,09,08,458.53	204,92,42,765.43

Year-wise details of the Sundry Credits/Sundry Debits received from the Regional Offices, were not made available to audit, in the absence of which correctness of Sundry Credits (Rs. 17709.08 lakh)/Debits (Rs. 20492.42 lakh) could not be verified.

EPFO replied (January 2004), that the year-wise /item-wise details were available with the regional/sub-regional offices only and progress to clear these heads were being monitored by Headquarters. As a result the sundry credits and sundry debits in three schemes taken together have come down by 9.91% and 4.64% respectively in the year 2002-03.

Since the year-wise/ item-wise details under these suspense accounts are available with Regional /Sub-Regional/Sub-Accounts Offices of the Organisation only, they have been directed to clear them. The progress is, however, monitored by the Headquarters in periodical review meetings of the Regional Commissioners. As a result, the sundry credits and sundry debits in three schemes taken together have come down by 9.91% and 4.64% respectively in the year 2002-03.

6.3 Physical verification of assets

As per rule 116(1) of GFR 1961, physical verification of assets should be conducted once in a year but the physical verification report for the year 2002-03 was not produced to audit. As such the value of assets depicted in the Balance Sheet could not be vouched safe in Audit.

EPFO replied (January 2004), that the physical verification of assets in some of the regions could not be completed before 31.03.2003 and it was under progress.

Physical verification of assets in some of the Regions could not be completed before 31.3.2003 and the same is under progress.

7. Effect of audit comments on Balance Sheet, Income & Expenditure Accounts & Receipt & Payment Account

The net impact of the comments given in the preceding paras is that assets as on 31.3.2003 were understated by Rs. 450.78 lakh, liabilities were understated by Rs. 149810.67 lakh, expenditure was understated by Rs. 0.45 lakh and receipts were over stated by Rs. 28.70 lakh.

Appropriate comments have already been given against the relevant paras.

Place : New Delhi
Date: 24.06.2004

Sd/-
Director General of Audit
Central Revenues

वर्ष 2002-2003 के समेकित वार्षिक लेखे
लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केन्द्रीय कार्यालय
भविष्यनिधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110 066

विषय - सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ
1.	आय और व्यय लेखा - कर्मचारी भविष्य निधि	53
2.	आय और व्यय विनियोजन लेखा - कर्मचारी भविष्य निधि.....	55
3.	तुलन पत्र - कर्मचारी भविष्य निधि	57
4.	अंशदान लेखा - कर्मचारी पेंशन निधि	74
5.	प्रशासन लेखा - कर्मचारी पेंशन निधि	76
6.	तुलन पत्र - कर्मचारी पेंशन निधि	78
7.	अंशदान लेखा - कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	83
8.	प्रशासन लेखा - कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	85
9.	तुलन पत्र - कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	87
10.	लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र	92
11.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	93

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के
आय और व्यय लेखे
तथा
तुलनपत्र

नामों

पिछला वर्ष	क्र. सं.	व्यय	राशि (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)
1,513,584,461.14	1.	अधिकारियों, कर्मचारियों का वेतन	1,593,502,670.88
249,186,813.99	2.	भत्ते और मानदेय	264,246,685.09
42,130,928.11	3.	यात्रा भत्ता व अवकाश यात्रा रियायत	40,697,527.99
426,845,326.16	4.	पेंशन/कुटुम्ब पेंशन/मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान	457,769,380.56
0.00	5.	(क) स्टाफ भविष्य निधि (बोर्ड का भाग)	0.00
1,189,796.28		(ख) स्टाफ म.नि.नि.स.बी. लाभ	597,620.75
655,634,737.69	6.	(क) अन्य प्रभार आवर्ती/अनावर्ती	731,050,620.26
51,854,005.11		(ख) कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टरों का रख रखाव	35,872,254.62
3,822,472.04	7.	(क) अनुदान	7,720,082.24
0.00		(ख) सामूहिक बीमा योजना बचत राशि वापसी	0.00
2,944,248,540.52		कर्मचारी भविष्य निधि योजना पर किया गया कुल व्यय	3,131,456,842.39
	8.	निम्नलिखित के प्रशासन पर व्यय :	
567,565,983.69		(क) कर्मचारी पेंशन योजना	603,654,331.05
35,472,873.97		(ख) क.नि. स. बीमा योजना	37,728,395.69
13,517.00		(ग) अतिरिक्त परिलब्धियां अनिवार्य निक्षेप योजना	0.00
2,506,763,157.84	9.	व्यय से आय की अधिकता	2,305,082,674.89
6,054,064,073.02		जोड़	6,077,922,244.02

आय और व्यय लेखा
निधि योजना, 1952

EPF
India

				जमा
पिछला वर्ष	क्र. सं.	आय	अनु. सं.	राशि (रुपये)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4,988,576,677.11	1.	प्रशासकीय तथा निरीक्षण प्रभार और शास्तिक नुकसानी से प्राप्त आय	(1)	5,317,341,211.95
509,644,912.24	2.	अधिशेष प्रशासन निधि के निवेश पर अर्जित व्याज		701,410,075.46
512,814,302.28	3.	पेंशन-निधि और अन्य खातों से प्राप्त आय	(2)	29,579,924.45
43,028,181.39	4.	विविध प्राप्त आय		29,591,032.16
0.00	5.	आय से व्यय की अधिकता		0.00
6,054,064,073.02	जोड़			6,077,922,244.02

नाम	पिछला वर्ष	क्र. सं.	व्यय	राशि (रुपये)
	0.00	1.	आय पर व्यय की अधिकता	0.00
	0.00	2.	भवन निर्माण निधि के लिए प्रावधान	500,000,000.00
	-6,854,005.11	3.	रख-रखाय निधि का प्रावधान, (मरम्मत, पुनर्नदीकरण और बदलाव)	24,127,745.38
	2,513,617,162.95	4.	तुलनपत्र में ले जाया गया शेष	1,780,954,929.51
	2,506,763,157.84		जोड़	2,305,082,674.89

विनियोजन लेखा
निधि योजना, 1952

EPF
India

			जमा
पिछला वर्ष	क्र. सं.	आय	राशि (रुपये)
2,506,763,157.84	1.	व्यय पर आय की अधिकता	2,305,082,674.89
0.00	2.	तुलनपत्र में ले जाया गया शेष	0.00
2,506,763,157.84	जोड़		2,305,082,674.89

पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	बालू वर्ष
4,133.31 लाख रु.	(i) लेखे वास्तविक आधार पर संकलित किए गए हैं	
	(ii) कर्मचारी पेंशन योजना के प्रशासन पर किया गया देय व्यय	10,848.42 लाख रु.
0.14 लाख रु.	(iii) अतिरिक्त परिलब्धियां अनिवार्य निक्षेप के प्रशासन पर किया गया व्यय	0.00 लाख रु.
4,451.11 लाख रु.	(iv) नियोक्ताओं से अप्रगत बकाया की अनुमानित राशि	
	(क) प्रशासनीय प्रभार	4,946.93 लाख रु.
	(ख) निरीक्षण प्रभार	

ह०/-
(अनिरुद्ध राय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पिछला वर्ष	क्र.सं.	देयताएं	अनु.सं.	राशि (रुपये)
507,158,609,842.01	1.	कर्मचारी भविष्य निधि खाता	3	558,161,488,446.16
3,819,131,961.71	2.	अदावी निक्षेप खाता	4	6,345,667,218.85
7,295,124,858.18	3.	विशेष आरक्षित निधि	5	7,987,896,610.71
	4.	व्याज उचंचत खाता		
21,786,970,055.35	(क)	31.3.2003 तक सदस्यों के खाते में जमा की जाने वाली राशि	6	23,601,089,984.60
57,507,915,539.40	(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त और अगले वर्ष सदस्यों के खाते में जमा की जाने वाली राशि		59,530,113,549.64
	5.	स्टाफ भविष्य निधि खाता		
1,807,160,393.36	(क)	स्टाफ भविष्य निधि खाता	7	2,060,480,480.36
85,822,196.95	(ख)	स्टाफ भविष्य निधि व्याज खाता	8	131,819,546.96
2,081,436,917.56	6.	पेंशन तथा उपदान व्याज खाता (स्टाफ)	9	2,611,369,926.20
1,173,329,764.88	7.	निवेश अस्थिर खाता	10	-1,486,326,262.66
1,057,551.46	8.	प्रतिभूति निक्षेप राशि		1,052,896.46
602,716,559,080.86	जोड			658,944,652,397.28

पिछला वर्ष	क्र. सं.	परिसम्पत्तियां	अनु. सं.	राशि (रुपये)
	1.	निवेश खाता :		
599,357,043,108.40		(क) कर्मचारी भविष्य निधि	15	653,471,615,479.49
1,943,696,783.83		(ख) स्टाफ भविष्य निधि	16	2,253,786,757.58
2,081,890,397.60		(ग) पेंशन तथा उपदान निधि	17	2,576,005,807.58
9,684,962,119.90		(घ) प्रशासन निधि	18	11,869,266,483.90
	2.	भूमि और भवन		
1,655,318,432.16		(क) अधिग्रहित परिसम्पत्ति		2,079,419,514.61
961,686,232.93		(ख) अदा किया गया अग्रिम		846,034,133.17
499,503,920.46	3.	वसूल योग्य अग्रिम राशि	19	516,788,512.00
502,043,211.08	4.	विशेष आरक्षित निधि (वसूल योग्य)		521,916,639.93
981,296.20	5.	सुरक्षित निक्षेप (पार्टियों की अग्रिम राशि)		982,876.20
687,114,864.50	6.	अभिवहन में पड़ी राशि	20	501,990,206.50
37,136.10	7.	नकद		37,849.80
- 1,353,460,032.97	8.	रोकड़ बही शेष/बैंक में नकद	21	82,971,411.17
809,360,700.02	9.	विविध नामें	22	895,363,683.98
616,830,178,170.21		जोड़		675,616,179,355.91

पिछला वर्ष	क्र.सं.	देयताएं	अनु.सं.	राशि (रुपये)
602,716,559,080.86		पिछले पृष्ठ से लाया गया जोड़		658,944,652,397.28
4,449,780,760.32	9	भवन निर्माण निधि	11	5,218,859,880.08
105,756,434.50	10.	भवन रख-रखाव (मरम्मत, पुनर्नवीकरण एवं बदलाव) निधि	12	140,828,348.66
8,493,222,128.83	11.	राजस्व अधिशेष	13	10,271,032,074.82
10,088,610.39	12.	(क) सामूहिक बीमा योजना (पुरानी)		10,088,610.39
-414,673.65		(ख) सामूहिक बीमा योजना (नई)		-182,712.45
1,055,185,828.96	13.	विविध जमा	14	1,030,900,757.13
616,830,178,170.21		जोड़		675,616,179,355.91

पिछला वर्ष	क्र. सं.	परिसम्पत्तियां	अनु. सं.	राशि (रुपये)
616,830,178,170.21		पिछले पृष्ठ से लाया गया जोड़		675,616,179,355.91
616,830,178,170.21		जोड़		675,616,179,355.91

पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	चालु वर्ष
	(i) लेखे वास्तविक आधार पर समेकित किये गये हैं।	
	(ii) निबंधकों द्वारा देय अनुमानित किन्तु अप्राप्त राशि :	
95,304.32 लाख रु.	(क) कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान	1,51,179.00 लाख रु.
7,747.06 लाख रु.	(ख) अंशदान पर शारितक नुकसानी तथा प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	11,281.43 लाख रु.
	(iii) तुलन पत्र में स्टाफ भविष्य निधि और पेंशन तथा उपदान निधि का निवेश खरीद कीमत के आधार पर दर्शाया गया है।	
	(iv) भवन निर्माण निधि के 521,88,59,880.08 रुपये में से अधिग्रहण की गई भूमि तथा भवन की लागत 31.3.2003 को जिसमें 292.54,53,647.78 रुपये की अग्रिम अदा की गई राशि शामिल है और शेष 229,34,06,232.30 रुपये की राशि को प्रशासन निवेश के साथ निवेशित किया गया है।	
	(v) भूमि तथा भवन को छोड़कर सभी नियत परिसम्पत्तियों को राजस्व व्यय माना जाता है तथा मैनुअल प्रावधानों के अनुसार भूमि तथा भवन पर मूल्य ह्रास का प्रावधान नहीं है।	

ह०/-

(अनिरुद्ध राय)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-

(अजय सिंह)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

2001-2002	
रुपये	पैसे
4,532,529,870.55	
430,887,768.45	
17,888,553.49	
7,270,484.62	
4,988,576,677.11	
491,509,277.34	
21,305,024.94	
512,814,302.28	
46,799,588.39	
0.00	
46,799,588.39	
0.00	
25,494,563.45	
25,494,563.45	
21,305,024.94	

अनुसूची संख्या-1

आय के व्योरे

1. प्रशासन प्रभार
2. निरीक्षण प्रभार
3. शास्तिक नुकसानी
4. 7Q ब्याज जोड़

अनुसूची संख्या-2

पेंशन निधि और अन्य खातों से प्राप्त आय

1. कर्मचारी पेंशन योजना के प्रशासन के लिए पेंशन निधि से प्राप्त राशि
2. अन्य खातों से जोड़

अन्य खातों से प्राप्तियों का व्यौरा

1. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के प्रशासन खाते से
2. अन्य खातों से

घटायें:

1. अन्य खातों में अन्तरित की गई राशि
2. क्षेत्रीय कार्यालय के खाते और केन्द्रीय कार्यालय के खाते के अनुसार खाता स 2 से 4 अथवा इनके विपरीत किया गया अन्तरण

जोड़

शेष

2002-2003

रुपये

पैसे

1. 4,820,049,239.50
 2. 456,378,659.56
 3. 21,888,464.87
 4. 19,024,848.02
- 5,317,341,211.95**

0.00

29,579,924.45

29,579,924.45

7,780,000.00

0.00

7,780,000.00

0.00

-21,799,924.45

-21,799,924.45

29,579,924.45

2001-2002		अनुसूची संख्या-3	2002-2003	
रुपये	पैसे	कर्मचारी भविष्य निधि लेखा	रुपये	पैसे
449,593,471,574.03		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष जोड़ें:	507,158,609,842.01	
69,101,319,462.38		1. वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (इसमें प्रत्याहरण की वापसी राशि शामिल हैं)	75,287,667,502.60	
400,460,818.00		2. अंतरित प्रतिभूतियों के द्वारा प्राप्त अंशदान (मुख्य कार्यालय के विपरीत)	830,832,119.92	
57,089,706,011.06		3. सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज	54,408,315,033.22	
1,236,487,489.73		4. अन्य प्राप्तियां	1,541,532,303.23	
<u>577,421,445,355.20</u>		जोड़	<u>639,226,956,800.98</u>	
53,557,768,296.43		घटायें:		
107,805,198.50		1. निर्गामी सदस्यों को वर्ष के दौरान अंतिम निपटान के रूप में की गई अदायगी	55,062,804,775.60	
14,144,406,107.00		2. वर्ष के दौरान सदस्यों की जीवन बीमा पालिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	648,611,318.45	
0.00		3. वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	20,050,471,111.60	
705,042,344.00		4. वर्ष के दौरान जब्त किया गया नियोक्ता का भाग	0.00	
1,682,225,167.26		5. अदावी निक्षेप खाता	2,686,257,794.64	
65,588,400.00		6. विविध अदायगी	2,575,633,154.53	
<u>70,262,835,513.19</u>		7. छूट प्राप्त स्थापनाओं को वापस अन्तरित की गयी प्रतिभूतियों की राशि	41,690,200.00	
		जोड़	<u>81,065,468,354.82</u>	
<u>507,158,609,842.01</u>		शेष	<u>558,161,488,446.16</u>	



2001-2002		अनुसूची संख्या-4	2002-2003	
रूपये	पैसे	अदावी निक्षेप खाता	रूपये	पैसे
3,516,240,211.71		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	3,819,131,961.71	
705,042,344.00		जोड़:		
		वर्ष के दौरान अन्तरित की गई राशि	2,686,257,794.64	
<u>4,221,282,555.71</u>			<u>6,505,389,756.35</u>	
		घटायें:		
402,150,594.00		वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	159,722,537.50	
<u>3,819,131,961.71</u>		शेष	<u>6,345,667,218.85</u>	
		अनुसूची संख्या-5		
		विशेष आरक्षित निधि		
6,666,700,270.21		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	7,295,124,858.18	
		जोड़:		
0.00		1. वर्ष के दौरान नियोक्ताओं से प्राप्त राशि	1,272.00	
633,336,525.67		2. विशेष आरक्षित खाते पर ब्याज	693,036,861.53	
<u>7,300,036,795.88</u>			<u>7,988,162,991.71</u>	
		जोड़		
187,518.00		घटायें:		
		1. मृत्यु सहाय के रूप में अदा की गई राशि	150,071.00	
4,724,419.70		2. विशेष आरक्षित निधि लेखे से अदा की गई राशि	116,310.00	
<u>4,911,937.70</u>			<u>266,381.00</u>	
<u>7,295,124,858.18</u>		जोड़		
		शेष	<u>7,987,896,610.71</u>	

2001-2002		अनुसूची संख्या-6	2002-2003	
रुपये	पैसे	ब्याज उर्ध्वत खाता	रुपये	पैसे
80,222,311,948.95		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष घटार्ये:	79,294,885,594.75	
57,089,654,724.06		1. सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज	54,408,315,033.22	
51,287.00		2. छूट प्राप्त स्थापनाओं को वापिस की गई राशि पर अदा किया गया ब्याज		0.00
473,925,210.41		3. विक्रेताओं को अदा किया गया ब्याज	480,977,387.74	
633,336,525.67		4. वि.आ.नि. खाते के ब्याज का समायोजन	693,036,861.53	
238,374,146.46		5. अस्थिर खाते पर दिये गए ब्याज का समायोजन	111,466,327.66	
58,435,341,893.60		जोड़	55,693,795,610.15	
21,786,970,055.35		31.3.2003 को शेष जिसे सदस्यों के खाते में जमा किया जाना है	23,601,089,984.60	
		जोड़		
57,208,129,899.65		1. प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	59,077,461,785.09	
419,538.87		2. बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज (केन्द्रीय)	220,638.13	
28,552,462.93		3. बचत बैंक खातों पर ब्याज (क्षेत्रीय)	69,942,728.31	
2,130,758.68		4. स्थापनाओं से प्राप्त प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज (क्षेत्रीय)	2,709,257.11	
10,737,046.36		5. ऋण पर सदस्यों से वसूल किया गया ब्याज	11,490,622.54	
257,945,832.91		6. वर्ष के दौरान देरी से प्राप्त अंशदानों पर लगायी गई शास्तिक नुकसानी	368,288,518.46	
57,507,915,539.40		जोड़	59,530,113,549.64	
79,294,885,594.75		शेष	83,131,203,534.24	

2001-2002		अनुसूची संख्या-7	2002-2003	
रूपये	पैसे	(क) स्टाफ भविष्य निधि लेखे	रूपये	पैसे
1,493,540,362.19		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	1,766,390,887.19	
660,263,220.00		जोड़ें	675,978,641.00	
0.00		1. वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (इसमें प्रत्याहरण भी शामिल है)	0.00	
144,797,807.00		2. बोर्ड का भाग	166,680,429.00	
<u>2,298,601,389.19</u>		3. सदस्यों के खाते में जमा किया ब्याज	<u>2,609,049,957.19</u>	
176,566,378.00		घटायें	274,603,400.00	
0.00		1. वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा की गई राशि	0.00	
261,413,142.00		2. वर्ष के दौरान सदस्यों की जीवन बीमा पालिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	242,162,790.00	
94,230,982.00		3. वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	66,727,943.00	
<u>532,210,502.00</u>		4. अन्य अदा (अन्य क्षेत्रों का अन्तरण)	<u>583,494,133.00</u>	
<u>1,766,390,887.19</u>		जोड़	<u>2,025,555,824.19</u>	
26,034,668.17		शेष	40,769,506.17	
94,230,982.00		(ख) अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता	66,727,943.00	
<u>120,265,650.17</u>		1.4.2003 अप्रैल को शेष	<u>107,497,449.17</u>	
79,496,144.00		जोड़ें	72,572,793.00	
<u>40,769,506.17</u>		क्षेत्रों के अन्तरित की गई राशि	<u>34,924,656.17</u>	
<u>1,807,160,393.36</u>		जोड़	<u>2,060,480,480.36</u>	
		घटायें		
		अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि		
		शेष		
		कुल (क+ख)		

2001-2002		अनुसूची संख्या-8	2002-2003	
रूपये	पैसे		रूपये	पैसे
46,379,595.01		स्टाफ भविष्य निधि ब्याज लेखा		
		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष जोड़ें	85,822,196.95	
190,413,425.96		1. प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	220,508,550.74	
23,871.06		2. बचत बैंक खाते पर ब्याज	11,116.50	
236,816,892.03		जोड़	306,341,864.19	
		घटायें:		
144,797,807.00		1. वर्ष के दौरान सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	166,680,429.00	
6,196,888.08		2. विक्रेताओं को अदा किया गया ब्याज	7,841,888.23	
150,994,695.08		जोड़	174,522,317.23	
85,822,196.95		शेष	131,819,546.96	
		अनुसूची संख्या - 9		
		पेंशन तथा उपदान खाता		
1,599,426,537.62		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष जोड़े:	2,081,436,917.56	
300,000,000.00		1. खाता सं 4 से अंतरित की गई राशि	300,000,000.00	
2.94		2. बचत खाते से वसूल किया गया ब्याज	3.10	
190,778,108.01		3. प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज	238,909,929.37	
2,090,204,648.57		जोड़	2,620,346,850.03	
		घटायें:		
0.00		1. क्षेत्रों द्वारा अदा की गई राशि	0.00	
8,767,731.01		2. वर्ष के दौरान विक्रेताओं को अदा की गयी ब्याज की राशि	8,976,923.83	
8,767,731.01		जोड़	8,976,923.83	
2,081,436,917.56		शेष	2,611,369,926.20	

2001-2002		अनुसूची संख्या-10	2002-2003	
रुपये	पैसे	निवेश अस्थिर खाता	रुपये	पैसे
2,509,201,541.72		क. वर्ष 2000-2001 तक छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों पर लाभ	1,173,329,764.88	
-1,574,245,923.30		ख. प्रतिभूतियों की खरीद पर लाभ/हानि	-2,771,122,355.20	
238,374,146.46		ग. निवेश अस्थिर खाते पर ब्याज	111,466,327.66	
<u>1,173,329,764.88</u>		जोड़	<u>-1,486,326,262.66</u>	
	0.00	घटाएँ:		
		प्रतिभूतियों को बेचने से हानि/लाभ		0.00
<u>1,173,329,764.88</u>		शेष	<u>-1,486,326,262.66</u>	
		अनुसूची संख्या -11 भवन निर्माण निधि		
4,201,752,854.20		पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	4,449,780,760.32	
	0.00	जोड़ें:		
		1. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	500,000,000.00	
248,027,906.12		2. निधि में जमा किया गया ब्याज	269,079,119.76	
<u>4,449,780,760.32</u>		जोड़	<u>5,218,859,880.08</u>	

टिप्पणी : 31.3.2003 को भूमि तथा भवन की लागत जिसमें अदा की गई पेशगियां भी शामिल हैं, 2,925,453,647.78 रुपये हैं तथा 31.3-2003 को निर्माण उद्देश्य के लिए उपलब्ध राशि 2,293,406,232.30 रुपये है।

2001-2002		अनुसूची संख्या-12 भवन की रख-रखाव (मरम्मत, पुनर्नवीकरण, बदलाव) निधि	2002-2003	
रूपये	पैसे		रूपये	पैसे
103,137,903.97		पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	105,756,434.50	
		जोड़ें		
	-6,854,005.11	1. वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष से बढ़ाई गई राशि	24,127,745.38	
	9,472,535.64	2. जमा किया गया ब्याज	10,944,168.78	
<u>105,756,434.50</u>		जोड़	<u>140,828,348.66</u>	
		अनुसूची संख्या-13		
		राजस्व अधिशेष		
5,975,150,602.22		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	8,493,222,128.83	
		जोड़ें:		
	5,088,775.66	1. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समायोजित की गई राशि	2,219,175.48	
	2,513,617,162.95	2. व्यय पर आय की अधिकता के कारण आय और व्यय विनियोजन खाते से अन्तरित की गई राशि	1,780,954,929.51	
<u>8,493,856,540.83</u>		जोड़	<u>10,276,396,233.82</u>	
		घटाएँ		
	634,412.00	1. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समायोजित की गई राशि	5,364,159.00	
	0.00	2. आय पर व्यय की अधिकता के कारण आय और व्यय विनियोजन खाते से अन्तरित राशि	0.00	
<u>634,412.00</u>		जोड़	<u>5,364,159.00</u>	
<u>8,493,222,128.83</u>		शेष	<u>10,271,032,074.82</u>	

2001-2002		अनुसूची संख्या-14 विविध जमा	2002-2003	
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
394,397,027.24		(क) क्षेत्रीय		
187,531,809.36		क.(i) उचत लेखा (क.भ.नि.)	328,298,350.07	
7,185,851.57		(ii) उचत लेखा (प्रशासन निधि)	203,453,086.67	
3,604,637.84		(iii) उचत लेखा (स्टाफ भविष्य निधि)	1,191,058.26	
7,597,113.47		ख. अनियमित अदायगियां	4,508,601.18	
0.00		ग. अधिक अदायगियां	7,618,288.47	
895,000.00		घ. अतिरिक्त परिलब्धियां	0.00	
		ङ. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा खाते को देय राशि	895,000.00	
0.00		(ख) केन्द्रीय		
0.00		क. कर्मचारी भविष्य निधि निवेश खातों में अधिक जमा की गई राशि	85,699,390.00	
0.00		ख. स्टाफ भविष्य निधि निवेश खातों में अधिक जमा की गई राशि	0.00	
875,009.00		ग. खाता सं. 8 में अधिक जमा की गई राशि	0.00	
		घ. राशि जिसे खाता सं. 1 से खात सं. 5 में प्राप्त हो जाने पर भी उसे क्षेत्रों द्वारा शामिल किया गया है।	875,009.00	
122,513,339.00		ङ. खाता सं. 1 में जमा की गयी परन्तु खाता सं. 5 के नामों में नहीं डाली गई राशि	122,513,339.00	
303,502,279.60		ब. खाता संख्या 5 में अधिक जमा की गई राशि	246,456,403.60	
26,080,741.88		छ. खाता संख्या 8 में अधिक जमा की गई राशि	26,455,423.88	
1,003,020.00		ज. खाता संख्या 9 में अधिक जमा की गई राशि	2,936,807.00	
<u>1,055,185,828.96</u>		जोड़	<u>1,030,900,757.13</u>	

2001-2002		अनुसूचित संख्या-15	2002-2003	
रुपये	पैसे	कर्मचारी भविष्य निधि निवेश खाता	रुपये	पैसे
541,498,222.813.82		(क) केन्द्रीय रूप में खरीदी गई प्रतिभूतियां पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	596,991,658,995.74	
63,028,367,905.22		जोड़ें:		
		1. केन्द्रीय रूप से (लागत मूल्य) निवेश की गई राशि	68,827,194,623.37	
- 1,574,245,923.30		2. खरीदी गई प्रतिभूतियों पर लाभ/हानि	- 2,771,122,355.20	
<u>602,952,344,795.74</u>		जोड़	<u>663,047,731,263.91</u>	
0.00		घटायें:		
5,960,685,800.00		1. बेची गई प्रतिभूतियों पर हानि	0.00	
<u>5,960,685,800.00</u>		2. वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	12,730,641,817.00	
		जोड़	<u>12,730,641,817.00</u>	
<u>596,991,658,995.74</u>		शेष (क)	<u>650,317,089,446.91</u>	
2,030,511,694.66		(ख) क्षेत्रों द्वारा अन्तरित की गयी प्रतिभूतियां पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	2,365,384,112.66	
400,460,818.00		जोड़ें:		
0.00		1. वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतिया (स्वीकृत मूल्य)	830,832,119.92	
<u>2,430,972,512.66</u>		2. अन्य समायोजन	0.00	
65,588,400.00		जोड़	<u>3,196,216,232.58</u>	
<u>2,365,384,112.66</u>		घटायें:		
<u>599,357,043,108.40</u>		स्थापनाओं को वापस की गई प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	41,690,200.00	
		शेष (ख)	<u>3,154,526,032.58</u>	
		जमा (क+ख)	<u>653,471,615,479.49</u>	

2001-2002	
रुपये	पैसे
1,619,229,725.75	
343,523,658.08	
1,962,753,383.83	
19,056,600.00	
1,943,696,783.83	
1,579,896,396.16	
513,718,301.44	
2,093,614,697.60	
11,724,300.00	
2,081,890,397.60	

अनुसूची संख्या-16		2002-2003	
स्टाफ भविष्य निधि का निवेश लेखा		रुपये	पैसे
पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार शेष		1,943,696,783.83	
जोड़ें:			
केन्द्रीय रूप से निवेश की गई राशि (क्रय मूल्य)		411,463,373.75	
जोड़		2,355,160,157.58	
घटायें:			
छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य		101,373,400.00	
शेष		2,253,786,757.58	
अनुसूची संख्या-17			
पेशन तथा उपदान निधि (स्टाफ) का निवेश खाता			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष		2,081,890,397.60	
जोड़ें:			
केन्द्रीय रूप से निवेश की गई राशि (क्रय मूल्य)		590,248,009.98	
जोड़		2,672,138,407.58	
घटायें:			
वर्ष के दौरान छुड़ायी गयी प्रतिभूतियों का मूल्य		96,132,600.00	
शेष		2,576,005,807.58	

2001-2002	
रुपये	पैसे
7,206,458,203.90	
2,733,503,916.00	
9,939,962,119.90	
255,000,000.00	
9,684,962,119.90	

64,766,935.65	
403,407,458.96	
132,891.50	
20,173.75	
11,048,133.10	
3,385,628.85	
12,792,739.13	
1,217.25	
563,026.00	
3,385,716.27	
499,503,920.46	

153,834,930.88	
0.00	
44,827,666.22	
0.00	
0.00	
44,827,666.00	
0.00	
0.00	
687,114,864.50	

अनुसूची संख्या-18	
प्रशासन निधि का निवेश खाता	
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष जोड़ें:	
निवेश की गई राशि	
घटायें:	
छुड़ायी गई प्रतिभूतियों	

शेष

अनुसूची संख्या-19	
वस्तुली योग्य अग्रिम (स्टाफ)	
क. वाहन अग्रिम	
ख. मकान निर्माण अग्रिम	
ग. पंखा अग्रिम	
घ. गर्म कपडा अग्रिम	
ङ. त्वौहार अग्रिम	
च. प्राकृतिक विपदा अग्रिम	
छ. वेतन/मंहगाई/भत्ता/यात्रा भत्ता अग्रिम	
ज. खाद्यान अग्रिम	
झ. स्टाफ सहकारी कैंटीन/स्टोर अग्रिम	
ण. विविध अदायगी	
जोड़	

अनुसूची संख्या-20

अभिवहन में पड़ी राशि	
(क) क.भ.नि. लेखा संख्या-4	
(ख) क.भ.नि. लेखा संख्या-5	
(ग) क.भ.नि. लेखा संख्या-8	
(घ) क.भ. नि. लेखा संख्या-9	
(ङ) क.भ.नि. मुख्यालय लेखा संख्या - 4 अ	
(च) क.भ.नि. निवेश लेखा	
(छ) स्टाफ भ.नि. निवेश लेखा	
(ज) पेंशन उपदान निधि निवेश लेखा	
जोड़	

2002-2003	
रुपये	पैसे
9,684,962,119.90	
2,186,433,364.00	
11,871,395,483.90	
2,129,000.00	
11,869,266,483.90	

63,339,001.15	
422,052,786.96	
123,795.00	
60,385.75	
10,980,443.10	
1,738,940.85	
14,020,879.67	
71,498.25	
376,332.00	
4,024,449.27	
516,788,512.00	

152,379,699.88	
264,208,204.40	
40,556,556.22	
0.00	
18,080.00	
44,827,666.00	
0.00	
0.00	
501,990,206.50	

2001-2002	
रुपये	पैसे
-2,056,263,357.10	
194,236,192.35	
-16,666,847.72	
24,509,728.85	
75,622,420.96	
2,051,816.66	
76.09	
-13,090,075.63	
3,990,453.90	
9,513,043.15	
-1,776,096,548.49	
422,609,823.15	
10,114.01	
16,578.36	
422,636,515.52	
-1,353,460,032.97	

अनुसूची संख्या-21	
रोकड़ बही शेष/बैंक में नकद	
(क) रोकड़ बही शेष	
(क) क.म.नि. लेखा संख्या-1	
(ख) क.म.नि. लेखा संख्या-2	
(ग) क.म.नि. लेखा संख्या-3	
(घ) क.म.नि. लेखा संख्या-4	
(ङ) क.म.नि. लेखा संख्या-5	
(च) क.म.नि. लेखा संख्या-8	
(छ) क.म.नि. लेखा संख्या-9	
(झ) केन्द्रीय कार्यालय	
(ज) नेटवर्स	
(ड) क.म.नि. अधीनीय अधिकरण	
जोड़ (क)	

(ख) बैंक में नकद	
(क) क.म.नि. निवेश खाता	
(ख) स्टाफ भविष्य निधि निवेश खाता	
(ग) पेंशन उपदान निवेश खाता	
जोड़ (ख)	
जोड़ (क+ख)	

अनुसूची संख्या-22

विविध नामे

(क) उंचत (अवर्गीकृत) खाता	
(क) क.म.नि	
(ख) प्रशासन	
(ग) स्टाफ भविष्य निधि	
(ख) अधिक अदायगियां	
(ग) अनियमित अदायगियां	
(घ) खाता संख्या-5 में गलती से नामे की गयी राशि	
(क) खाता संख्या-1 से खाता सं-5 एच प्रतिलाभित में केन्द्रीय कार्यालय द्वारा अधिक दिखाई गई अन्तरित राशि	
(ख) बैंक द्वारा खाता सं.5 मे अतिरिक्त नामे की गई राशि	
(ड.) चोरी	
जोड़	

2002-2003	
रुपये	पैसे
-1,297,345,747.15	
300,972,674.54	
-1,963,357.55	
13,330,689.82	
35,272,579.59	
2,639,980.43	
866.19	
-32,524,469.59	
4,752,323.25	
8,801,090.82	
-966,063,369.65	

988,340,804.13	
22,926,802.77	
37,767,173.92	
1,049,034,780.82	
82,971,411.17	

319,841,635.39	
53,588,299.34	
0.00	
4,508,601.18	
7,618,288.47	
325,000,869.95	
184,805,989.65	
0.00	
895,363,683.98	

प्राप्ति और अदायगी लेखा
तथा
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995
का तुलन पत्र

पिछला वर्ष	क्रम सं.	प्राप्तियां	राशि (रुपये)
337,325,613,995.90	1.	1 अप्रैल 2002 को आदि शेष	400,391,655,190.38
39,640,393,852.13	2.	(1) नियोक्ता का अंशदान	43,878,434,524.81
4,850,000,000.00		(क) सरकार का अंशदान 2002-2003	3,829,862,491.00
0.00		(ख) वर्ष 2001-2002 तक सरकार के अंशदान का बकाया	170,137,509.00
14,701,900,000.00	3.	लोक लेखे में बकाया पर ब्याज	16,482,600,000.00
29,020,973.88	4.	बचत बैंक खाते पर ब्याज	41,785,803.16
21,655,381,397.84	5.	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	25,447,035,132.01
	6.	अन्य प्राप्तियां	
1,114,562,952.34		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-10	184,577,841.30
0.00		(ख) केन्द्रीय अंशदान खाता संख्या-11	0.00
419,316,873,172.09	जोड़		490,426,088,491.66

योजना-1995
अदायगी लेखा
लेखा)

EPF
India

विच्छला वर्ष	क्रम सं.	अदायगी	राशि (रुपये)
0.00	1.	सदरयता छोड़ने वाले लाभ भोगियों को अदा की गयी राशि (क) कर्मचारियों के भाग की ब्याज सहित राशि	0.00
6,391,719,631.55		(ख) प्रत्याहरण/सेवा निवृत्ति	7,888,397,079.40
1,522,010.00		(ग) जीवन बीमा लाभ	1,168,008.00
9,958,949,451.54		(घ) पेंशन	12,096,302,071.83
93,174,655.43	2.	पेंशन के वितरण हेतु कमीशन के रूप में अदा की गई राशि	152,489,952.52
491,509,277.34	3.	पेंशन निधि प्रशासनिक व्यय के रूप में अदा की गई राशि	0.00
0.00	4.	छूट प्रदान करने पर अंतरित की गई प्रतिभूतियों की राशि	0.00
1,048,551,460.52	5.	प्रतिभूतियों की खरीद करने पर उपार्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि	1,249,728,371.79
939,791,495.33	6.	अन्य भुगतान (क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं० 10	12,218,168.58
0.00		(ख) केन्द्रीय अंशदान लेखा सं. 11	0.00
400,391,655,190.38	7.	अंत शेष	469,025,784,839.54
419,316,873,172.09	जोड़		490,426,088,491.66

ह०/-
(अनिरुद्ध राय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पिछला वर्ष	क्रम सं.	प्राप्तियां	राशि (रूपये)
0.00	1.	प्रशासनिक खर्च के लिए सरकार से वर्ष 2002-2003 के लिए प्राप्त राशि	0.00
491,509,277.34	2.	प्रशासनिक व्यय हेतु पेंशन निधि से प्राप्त राशि	0.00
413,331,212.95	3.	कर्मचारी भ.नि. प्रशासन लेखा से प्राप्त राशि को आगे ले जाया गया	1,084,841,717.19
904,840,490.29	जोड़ :		1,084,841,717.19

योजना-1995
अदायगी लेखा
लेखा)

EPF
India

पिछला वर्ष	क्रम सं.	अदायगी	राशि (रुपये)	राशि (रुपये)
308,558,077.34	1.	कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेखे से खर्च की गयी राशि के पश्चात् 1-4-2002 को शेष आगे लाई गयी राशि।		413,331,212.95
	2.	प्रशासन पर व्यय		
	(1)	राजस्व व्यय		
291,775,317.80		(क) वेतन	307,181,237.75	
48,030,249.77		(ख) भत्ते और मानदेय	50,939,120.01	
8,121,624.70		(ग) यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा सियायत	7,845,306.60	
82,283,436.37		(घ) पेंशन/उपदान (स्टाफ)	88,244,699.87	
229,358.32		(ङ) स्टाफ भविष्य निधि, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा लाभ	115,204.00	
126,387,419.30		(च) अन्य प्रभार	140,925,420.78	
742,624.64		(छ) अनुदान	1,488,208.62	
9,995,952.79		(ज) कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर्स आदि की मरम्मत और रख-रखाव प्रभार	6,915,133.42	
<u>567,565,983.69</u>		जोड	<u>603,654,331.05</u>	<u>603,654,331.05</u>
	(2)	पूंजीगत व्यय		
28,716,429.25		निर्माण कार्य (कार्यालय भवन स्टाफ क्वार्टर्स इत्यादि)		67,856,173.19
<u>904,840,490.29</u>		जोड		<u>1,084,841,717.19</u>

ह०/-
(अनिरुद्ध राय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पिछला वर्ष	क्रम सं.	देयताएं	अनुसूची संख्या	राशि (रूपये)
400,391,655,190.38	1.	कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान लेखा		469,025,784,839.54
413,331,212.95	2.	कर्मचारी पेंशन निधि प्रशासन लेखा: कर्मचारी भ.नि. के प्रशासन लेखे से व्यय की गई राशि		1,084,841,717.19
-6,144,553,807.64	3.	निवेश अस्थिर खाता		-13,064,407,262.14
687,645,535.35	4.	विविध जमा	1	516,946,492.40
395,348,078,131.04	जोड़			457,563,165,786.99

योजना-1995
तक का तुलन पत्र

EPF
India

पिछला वर्ष	क्रम सं.	परिसम्पत्तियाँ	अनुसूची संख्या	राशि (रुपये)
190,193,820,291.86	1.	कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान निवेश लोक लेखों में जमा रखी गयी राशि	2	210,676,420,291.86
200,304,346,483.19	2.	प्रतिभूतियों में निवेश	3	239,775,628,543.64
	3.	कर्मचारी पेंशन निधि प्रशासन लेखा:		
0.00	क)	केन्द्रीय सरकार से वसूल की जाने वाली राशि		0.00
413,331,212.95	ख)	पेंशन निधि से वसूली योग्य राशि		1,084,841,717.19
2,407,762,811.89	4.	रोकड बही शेष/ बैंक में नकद	4	4,645,714,116.44
774,495,027.84	5.	अभिवहन में पडी राशि		324,544,689.84
1,254,322,303.31	6.	विविध नामें	5	1,056,016,428.02
395,348,078,131.04	जोड़			457,563,165,786.99

पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	चालू वर्ष
रु. 30,228.04 लाख	(1) 31-3-2003 तक छूट प्राप्त और न छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोजताओं का बकाया पेंशन अंशदान	रु. 34,295.43 लाख
रु. 670,150,884.57	(2) 31-3-2003 तक सरकार से बकाया पेंशन अंशदान	रु. 1,084,841,717.19
रु. 413,331,212.95	(3) 31-3-2003 तक पेंशन निधि से बकाया प्रशासकीय अंशदान	रु. 2,280,459,723.74
	(4) तुलनपत्र में प्रतिभूतियों में निवेश को अंकित मूल्य के आधार पर दर्शाया गया है।	
	(5) वास्तविक आधार पर लेखों को समेकित किया गया है।	

ह०/-
(अनिरुद्ध राय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

2001-2002	
रुपये	पैसे
362,748,977.47	
324,896,557.88	
687,645,535.35	

170,641,920,291.86	
0.00	
0.00	
4,850,000,000.00	
14,701,900,000.00	
190,193,820,291.86	

अनुसूची संख्या-1

विविध जमा

1. लेखा संख्या-10
 2. लेखा संख्या-11
- शेष

अनुसूची संख्या-2

लोक लेखे में रखी गई राशि

पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष जोड़ें:

- (1) वर्ष के दौरान लोक लेखे में जमा की गई राशि
- (2) 2001-2002 तक सरकार के भाग का सकाया
- (3) सरकार के भाग का अशदान 2002-2003
- (4) लोक लेखे पर ब्याज

शेष

2002-2003

रुपये

पैसे

- | | |
|-----------------------|--|
| 272,454,626.52 | |
| 244,491,865.88 | |
| 516,946,492.40 | |

190,193,820,291.86

0.00

170,137,509.00

3,829,862,491.00

16,482,600,000.00

210,676,420,291.86

2001-2002	
रुपये	पैसे
161,522,062,858.09	
48,853,544,232.50	
-3,560,110,607.40	
<u>206,815,496,483.19</u>	
0.00	
6,511,150,000.00	
<u>6,511,150,000.00</u>	
<u>200,304,346,483.19</u>	

अनुसूची संख्या-3

प्रतिभूतियों में निवेश

क. केन्द्रीय कृत रूप से खरीदी गई

प्रतिभूतियां (लागत मूल्य)

पिछले तुलन-पत्र के अनुसार बकाया

जोड़ें:

1. केन्द्रीय कृत रूप से निवेशित राशि (लागत मूल्य)

2. खरीदी गई प्रतिभूतियों पर लाभ/हानि

जोड़

घटायें:

1. प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि/लाभ

2. वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियां

जोड़

शेष (क)

(ख) क्षेत्रों द्वारा अन्तर्गत प्रतिभूतियां

पिछले तुलन पत्र के अनुसार (स्वीकृत मूल्य)

जोड़ें:

1. प्राप्त प्रतिभूतियों

(स्वीकृत मूल्य)

2. अन्य समायोजन

जोड़

घटायें:

स्थापनाओं को वापिस

की गई प्रतिभूतियों

(स्वीकृत मूल्य)

शेष राशि (ख)

जोड़ (क+ख)

200,304,346,483.19

64,090,125,514.95

-6,919,853,454.50

257,474,618,543.64

0.00

17,698,990,000.00

17,698,990,000.00

239,775,628,543.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

239,775,628,543.64

200,304,346,483.19

2001-2002	
रूपये	पैसे
1,616,083,425.60	
95,289,859.10	
696,389,527.19	
<hr/>	
2,407,762,811.89	

1,108,562,314.50
145,759,988.81
<hr/>
1,254,322,303.31

अनुसूची संख्या-4	
रोकड़ बही शेष/बैंक में नकद	
1.	लेखा संख्या-10
2.	लेखा संख्या-11
3.	भारतीय स्टेट बैंक मुम्बई के पास बकाया राशि
शेष	

अनुसूची संख्या-5	
विविध नामे	
1.	लेखा संख्या-10
2.	लेखा संख्या-11
शेष	

2002-2003	
रूपये	पैसे
2,129,982,465.75	
33,140,878.23	
2,482,590,772.46	
<hr/>	
4,645,714,116.44	

897,756,437.21
158,259,990.81
<hr/>
1,056,016,428.02

प्राप्ति और अदायगी लेखा
तथा
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि, 1976
का तुलन पत्र

पिछला वर्ष	क्रम सं.	प्राप्तियां	राशि (रुपये)
27,916,230,614.59	1.	1 अप्रैल 2002 को आदि शेष	31,479,015,425.38
1,534,719,437.06	2.	(1) नियोक्ताओं का अंशदान	1,586,167,609.99
0.00		(2) 2002-2003 में सरकार का अंशदान	0.00
2,037,600,000.00	3.	लोक लेखा में निवेश पर ब्याज	2,210,800,000.00
528,635,043.32	4.	प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	677,047,343.98
1,442,453.58	5.	बचत बैंक लेखे पर ब्याज	1,724,660.29
13,948,065.00	6.	शास्तिक नुकसानी	16,652,529.11
	7.	अन्य प्राप्तियां :	
47,377,352.40		(क) लेखा संख्या 21	16,077.38
0.00		(ख) लेखा संख्या-25	0.00
32,079,952,965.95	जोड़		35,971,423,646.13

योजना-1976
अदायगी लेखा
लेखा)

EPF
India

पिछला वर्ष	क्र. सं	अदायगी	राशि (रूपये)
519,958,890.00	1.	बीमा लाभ	545,257,827.50
0.00	2.	छूट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को वापिस की गयी राशि	0.00
32,979,878.57	3.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज की राशि	32,343,540.54
47,998,772.00	4.	अन्य अदायगियाँ	
0.00		(क) लेखा संख्या - 21	237,107.00
		(ख) लेखा संख्या - 25	0.00
31,479,015,425.38	5.	अन्त शेष	35,393,585,171.09
32,079,952,965.95	जोड़		35,971,423,646.13

ह०/-
(अनिरुद्ध राय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पिछला वर्ष	क्र. सं	प्राप्तियां	राशि (रूपये)
6,665,870,425.82	1.	1 अप्रैल 2002 को आदि शेष	7,336,735,684.82
56,647,542.18	2.	वर्ष के दौरान नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासकीय प्रभार	58,665,030.71
18,434,469.53	3.	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	18,738,712.65
1,050,149.73	4.	शास्तिक नुकसानी	1,017,313.65
0.00	5.	(क) वर्ष 2001-2002 तक सरकार के भाग की बकाया राशि	0.00
0.00		(ख) वर्ष 2002-2003 के तिथि प्रशासन की लागत के रूप में सरकार से प्राप्त राशि	0.00
0.00	6.	(क) प्रशासन लेखे से निवेश पर प्राप्त ब्याज	0.00
632,418,609.00		(ख) विशेष जमाखाते पर ब्याज	696,685,619.00
67,199.33		(ग) बचत खाते पर ब्याज	98,941.28
0.00		(घ) अग्रिम पर ब्याज	0.00
	7.	अन्य प्राप्तियां	
1,882,157.43		(क) लेखा संख्या - 22	566,956.78
0.00		(ख) लेखा संख्या - 24	0.00
7,376,370,553.02	जोड़		8,112,508,258.89

योजना-1976
अदायगी लेखा
लेखा)

EPF
India

पिछला वर्ष	क्र. सं	अदायगी	राशि (रूपये)	(राशि रूपये)
	1.	प्रशासन व्यय		
	(क)	राजस्व व्यय		
18,235,957.36	(1)	वेतन	19,198,827.36	
3,001,890.62	(2)	भत्ते और मानदेय	3,183,695.00	
507,601.54	(3)	यात्रा भत्ता एवं अवकाश यात्रा रियायत	490,331.66	
5,142,714.77	(4)	पेशन/उपदान (स्टाफ)	5,515,293.74	
14,334.90	(5)	स्टाफ भविष्य निधि (क.नि.स.लाभ)	7,200.25	
7,899,213.69	(6)	अन्य प्रभार (आवर्ती और अनावर्ती)	8,807,838.80	
46,414.04	(7)	अनुदान	93,013.04	
624,747.05	(8)	कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर्स आदि की मरम्मत एवं रख-रखाय	432,195.84	
<u>35,472,873.97</u>	जोड़		<u>37,728,395.69</u>	<u>37,728,395.69</u>
	(ख)	पूंजीगत व्यय :		
1,794,776.83		कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर्स आदि का निर्माण		4,241,010.82
	2	अन्य अदायगियां		
2,367,217.40	(क)	लेखा संख्या 22		59,611.00
0.00	(ख)	लेखा संख्या 24		0.00
7,336,735,684.82	3.	अंत शेष		8,070,479,241.38
<u>7,376,370,553.02</u>	जोड़			<u>8,112,508,258.89</u>

ह०/-
(अनिरुद्ध राय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पिछला वर्ष	क्रं. सं	देयताएं	अनुसूची संख्या	राशि (रूपये)
31,479,015,425.38	1.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा		35,393,585,171.09
7,336,735,684.82	2.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि प्रशासन लेखा		8,070,479,241.38
-180,763,698.33	3.	निवेश अस्थिर खाता		-386,141,713.13
222,934,392.62	4.	विविध जमा	1	223,061,209.00
38,857,921,804.49		जोड़		43,300,983,908.34

बीमा योजना-1976
तक का तुलन पत्र

EPF
India

पिछला वर्ष	क्र. सं.	परिसम्पत्तियां	अनुसूची संख्या	राशि (रुपये)
	1.	निवेश लेखा		
	(क)	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा		
5,238,854,056.67	(1)	प्रतिभूतियों में निवेश	2	6,632,216,209.05
26,009,214,794.14	(2)	लोक लेखा में जमा	3	28,220,014,794.14
	(ख)	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि लेखा		
7,329,101,026.23	(1)	सावधि जमा में निवेश राशि	4	8,100,416,645.23
-10,047,650.80	(2)	कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेखा में से देय राशि	5	-44,237,057.31
34,222,065.59	2.	रोकड बही शेष/बैंक में नकद	6	143,952,627.37
171,316,142.07	3.	अभिवहन में पड़ी राशि	7	150,758,036.43
85,261,370.59	4.	विविध नामे	8	97,862,653.43
38,857,921,804.49	जोड़			43,300,983,908.34

पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	चालू वर्ष
2,319.54 लाख रुपये	1. 31-3-2003 को नियोक्ताओं द्वारा देय क.नि.स.बी. अशदान	2,612.56 लाख रुपये
375.47 लाख रुपये	2. 31-3-2003 को नियोक्ताओं द्वारा देय क.नि.स.बी प्रशासन प्रभार और निरीक्षण प्रभार	317.61 लाख रुपये
	3. प्रतिभूतियों में निवेश को अंकित मूल्य के आधार पर तुलन पत्र में दर्शाया गया है।	
	4. वास्तविक आधार पर लेखों को समेकित किया गया है।	

ह०/-

(अनिरुद्ध राय)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-

(अजय सिंह)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

2001-2002	
रुपये	पैसे
30,930,990.82	
116,891,885.73	
1,344,061.55	
15,792,754.88	
57,974,699.64	
<hr/>	
222,934,392.62	
<hr/>	
3,858,066,460.81	
<hr/>	
1,529,039,940.56	
-113,252,344.70	
<hr/>	
5,273,854,056.67	
<hr/>	
0.00	
35,000,000.00	
<hr/>	
35,000,000.00	
<hr/>	
5,238,854,056.67	
<hr/>	
0.00	
<hr/>	
0.00	
<hr/>	
0.00	
<hr/>	
0.00	
<hr/>	
0.00	
<hr/>	
5,238,854,056.67	

अनुसूची संख्या-1 विविध जमा

1. लेखा संख्या-21 में अधिक जमा
2. लेखा संख्या-25 में अधिक जमा
3. भारि. बैंक लेखे में अधिक जमा
4. लेखा संख्या-22 में अधिक जमा
5. लेखा सं. 24 में अधिक जमा

शेष

अनुसूची संख्या-2

(क) केन्द्रीय रूप से खरीदी गई प्रतिभूतियाँ
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष

जोड़ें:

1. केन्द्रीय रूप से निवेशित राशि (लागत मूल्य)
2. प्रतिभूतियों की खरीद पर लाभ/हानि

जोड़

घटाएं:

1. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि
2. वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियां

जोड़

शेष (क)

(ख) क्षेत्रों द्वारा अंतरित प्रतिभूतियां :

पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष
(स्वीकृत मूल्य)

जोड़ें:

1. प्राप्त प्रतिभूतियाँ (स्वीकृत मूल्य)
2. अन्य समायोजन

जोड़

घटाएं:

स्थापनाओं को वापस की गई प्रतिभूतियाँ
(स्वीकृत मूल्य)

शेष (ख)

जोड़ (क+ख)

2002-2003

रुपये पैसे

33,265,273.76
113,793,585.73
1,344,061.55
15,492,395.41
59,165,892.55

223,061,209.00

5,238,854,056.67

2,054,240,167.18

-205,378,014.80

7,087,716,209.05

0.00

455,500,000.00

455,500,000.00

6,632,216,209.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,632,216,209.05

2001-2002	
रूपये	पैसे
23,971,614,794.14	
	0.00
	0.00
	0.00
<u>2,037,600,000.00</u>	
<u>26,009,214,794.14</u>	

अनुसूची संख्या-3

लोक लेखे में जमा राशि

पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष

1. वर्ष के दौरान जमा की गई राशि
2. 2002-2003 के लिए सरकार का अंशदान
3. 2001-2002 तक सरकार के भाग का बकाया
4. लोक लेखे में बकाया पर ब्याज

शेष

अनुसूची संख्या-4

निवेश की गई राशि

पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष

जोड़ें:

- क) वर्ष के दौरान जमा की गई राशि
- ख) वर्ष के दौरान एस.डी. ए. पर ब्याज

घटायें:

इस दौरान छुड़ायी गयी राशि

शेष

6,659,593,417.23
37,089,000.00
<u>632,418,609.00</u>
<u>7,329,101,026.23</u>
0.00
<u>7,329,101,026.23</u>

2002-2003	
रूपये	पैसे
26,009,214,794.14	
	0.00
	0.00
	0.00
<u>2,210,800,000.00</u>	
<u>28,220,014,794.14</u>	

अनुसूची संख्या-5

कर्मचारी भ.नि. प्रशा. लेखे से देय राशि

(क) खाता संख्या 24 में संव्यवहार

पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष

जोड़ें:

वर्ष के दौरान

शेष

(ख) खाता संख्या 22 में संव्यवहार

अंतरित राशि (प्रशासन व्यय अंश)

शेष (क+ख)

-19,579,588.39
46,799,588.39
<u>27,220,000.00</u>
-37,267,650.80
<u>-10,047,650.80</u>

7,329,101,026.23
74,630,000.00
<u>696,685,619.00</u>
<u>8,100,416,645.23</u>
0.00
<u>8,100,416,645.23</u>

-10,047,650.80
7,780,000.00
<u>-2,267,650.80</u>
-41,969,406.51
<u>-44,237,057.31</u>

2001-2002	
रुपये	पैसे
26,743,367.02	
3,714,631.91	
-556,737.26	
944,516.99	
3,376,286.93	
<u>34,222,065.59</u>	

147,523,669.79
532,224.15
23,260,248.13
<u>171,316,142.07</u>

32,245,845.03
14,523,310.50
10,411,561.32
28,080,653.74
<u>85,261,370.59</u>

अनुसूची संख्या-6	
रोकड बही शेष/बैंक में नकद	
1.	लेखा संख्या-21
2.	लेखा संख्या-25
3.	लेखा संख्या-22
4.	लेखा संख्या-24
5.	भारतीय स्टेट बैंक में राशि
शेष	

अनुसूची संख्या-7	
अभिवहन में पड़ी राशि	
1.	लेखा संख्या 21 से 25 में
2.	बैंक लेखे से लेखा 25 में
3.	लेखा संख्या-22 से 24 में
शेष	

अनुसूची संख्या-8	
विविध नामे	
1.	लेखा संख्या-21
2.	लेखा संख्या-25
3.	लेखा संख्या-22
4.	लेखा संख्या-24
शेष	

2002-2003	
रुपये	पैसे
46,116,623.76	
220,446.10	
-858,295.23	
704,929.55	
97,768,923.19	
<u>143,952,627.37</u>	

128,124,741.79
532,224.15
22,101,070.49
<u>150,758,036.43</u>

33,617,157.31
26,544,780.50
9,856,346.88
27,844,368.74
<u>97,862,653.43</u>

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष का प्राप्त और अदायगी लेखा, आय और व्यय लेखा तथा 31 मार्च 2003 के तुलन पत्र की जांच कर ली है। संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्यक्तियों, जिनके अन्तर्गत निम्नांकित प्रमुख लेखा परीक्षा अभ्यक्तियां, जिनमें अधिकांश वर्षों से यथावत् हैं, के अधीन रहते हुए मैंने सभी अपेक्षित सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं:-

- (i) परिसम्पत्ति रजिस्टर में अधिगृहीत परिसम्पत्तियों का अंकन न होने के कारण "अधिगृहीत परिसम्पत्तियां" तथा "अग्रिम अदायगी" के आंकड़ों की प्रमाणिकता का सत्यापन नहीं किया जा सका। चूंकि पी.ए.ओ., श्रम मंत्रालय द्वारा खतौनी की गई राशि एवं तुलन पत्र में दर्शाए गए आंकड़ों में अन्तर का समाधान नहीं किया गया, निवेशों का सत्यापन भी नहीं किया जा सका। (प्रस्तर 4.2)
- (ii) बैंक द्वारा वर्ष 1993-94 से 2002-03 से सम्बन्धित 205 लाख रुपए की एक गलत जमा राशि का अभी तक समायोजन नहीं हो सका है। (प्रस्तर 4.7)
- (iii) त्रुटिपूर्ण नाम, त्रुटिपूर्ण जमा एवं अप्राप्त जमा की विशाल राशि का सत्यापन लेखा परीक्षा में नहीं हो सका क्योंकि वर्ष-वार ब्योरे उपलब्ध नहीं कराए गए। (प्रस्तर 4.4)
- (iv) वित्तीय वर्ष के अन्त के मार्गस्थ प्रेषण अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित कर दिए जाते हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 1997-98 के पूर्व की अवधि में इस शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न लेखों का बकाया 9772.93 लाख रुपए था। (प्रस्तर 4.3)
- (v) तुलन पत्र के देयता पक्ष की ओर 100.89 लाख रुपए सामूहिक बीमा योजना (पुरानी) शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गए हैं, यद्यपि, यह योजना समाप्त कर दी गई है एवं पात्र स्टाफ सदस्य को राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। (प्रस्तर 4.6)
- (vi) ब्याज अभिदाताओं के लेखों में जमा/नामे हेतु उचित लेखे में 831312 लाख रुपए का जमा शेष था जो निगत वर्षों में काफी बढ़ गया है। (प्रस्तर 4.9)

इस लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी में तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा संगठन की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार, ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकलापों को यथार्थ एवं स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2004

हस्ता/-
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

वर्ष 2002-2003 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- अभियुक्तियां	संगठन की टिप्पणियां
<p>1. प्रस्तावना</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधिनियम के पश्चात् कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क. भ. नि. सं.) की स्थापना वर्ष 1952 में हुई। कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को पर्याप्त एवं लंबी अवधि के लिए सुरक्षात्मक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम में 1971, 1976 एवं 1995 में पुनः संशोधन किए गए। परिवार पेंशन योजना (प. पें. यो.) तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (क.नि.स.बी.यो.) क्रमशः 1.3.71 तथा 1.8.1976 को लागू हुई। 15.11.95 के पश्चात् परिवार पेंशन योजना, 1971 समाप्त कर दी गई तथा परिवार पेंशन योजना के समस्त कोष का कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में विलय कर दिया गया।</p>	वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
<p>2. उद्देश्य</p> <p>2.1 संगठन का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा लाभों के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:</p> <p>(क) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों को लागू करना</p> <p>(ख) वसूली एवं न्याय में जमा राशि का प्रबंधन, एवं</p> <p>(ग) योजनाओं के सदस्यों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना।</p>	वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
<p>2.2 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना नाम की तीनों योजनाओं को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाली एक त्रिपक्षीय समिति, केन्द्रीय न्यायी बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है इसमें केन्द्र/ राज्य सरकार, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।</p>	वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
<p>2.3 कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके वेतन का 10 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत (स्थापना की श्रेणी पर आधारित) अंशदान के रूप में देना होता है तथा इतना ही अंशदान नियोक्ता द्वारा भी दिया जाता है। इस राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा किया जाता है जहां इसे सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेशित किया जाता है। 31 मार्च 2003 तक कर्मचारी भविष्य निधि में निवेशित राशि 65,34,716.16 लाख रुपए थी।</p>	वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं सिवाय इसके कि नियोक्ता के अंशदान में से 8.33% पेंशन निधि में अंतरित कर दिया जाता है जबकि शेष राशि भविष्य निधि में ही रहती है।
<p>2.4 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का वित्त पोषण नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से किए गए अंशदान द्वारा किया जाता है तथा केन्द्र सरकार भी कर्मचारियों के वेतन का 1.16 प्रतिशत अंशदान के रूप में देती है। केन्द्र सरकार के हिस्से एवं लोक खाते के निवेश पर प्राप्त ब्याज को लोक खाते में पुनः निवेशित किया जाता है। वार्षिक लाभ उपलब्ध कराने के पश्चात् अधिशेष, यदि कोई हो तो, उसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 52 के अंतर्गत निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेशित किया जाता है। 31 मार्च 2003 को लोक खाते में इस योजना का निवेशित बकाया 21,06,764.20 लाख रुपए था तथा प्रतिभूतियों की राशि 23,97,756.29 लाख रुपए थी।</p>	वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

<p>2.5 कर्मचारी निक्षेप सह. बी.यो., 1976 का वित्त पोषण नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के वेतन के 0.5 प्रतिशत की दर से किए गए अंशदान से होता है। इस योजना के अंतर्गत, सेवा के दौरान मरने वाले अभिजाता के परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान किए जाते हैं। 31 मार्च 2003 को लोक खाते में इस खाते में निवेशित बकाया 2,82,200.15 लाख रुपये था तथा प्रतिभूतियों में 66,322.16 लाख रुपए था।</p> <p>संगठन के प्रशासनिक व्यय का वित्त पोषण नियोक्ताओं द्वारा अलग से किए गए अंशदान से होता है।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से अलग से वेतन के 0.65 प्रतिशत की दर से तथा छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से निरीक्षण प्रभार के रूप में वेतन के 0.09 प्रतिशत की दर से अंशदान लेकर की जाती है। इन दरों को एक अगस्त 1998 से संशोधित करके क्रमशः 1.10 प्रतिशत तथा 0.18 प्रतिशत कर दिया गया है।</p> <p>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के वेतन के 0.01 प्रतिशत की दर से तथा छूट-प्राप्त स्थापनाओं द्वारा निरीक्षण प्रभार के रूप में वेतन के 0.005 प्रतिशत की दर से अंशदान के रूप में देने से की जाती है।</p> <p>केन्द्रीय पेंशन योजना, 1995 के प्रशासनिक व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की पेंशन निधि द्वारा की जाती है।</p> <p>संगठन की लेखा-परीक्षा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5 ए (6) के अंतर्गत शामिल उपबंध के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्त) अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत की जाती है।</p>	<p>वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।</p> <p>वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p>3 लेखों का प्रारूप</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खातों का रख-रखाव 21/12/1992 के राजपत्र की अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार किया जाता है। 1995 में, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना का स्थान कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ने ले लिया जिसके खातों का रख-रखाव केन्द्रीय परिवार पेंशन योजना के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार किया जाता है। नए प्रपत्रों हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहमति अभी भी प्राप्त की जानी है।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि खातों के प्रारूप के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदन से संबंधित मामले को श्रम मंत्रालय द्वारा सीधे देखा जाता है। संगठन ने, मंत्रालय को 1 अक्टूबर, 2003 को याद दिलाया कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के खातों के प्रपत्र का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा अनुमोदन करवा लें।</p>	<p>वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं सिवाय इसके कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह पर उनके पत्र सं. जी 20017 /3/97 - एम.एस. - II दिनांक 21.8.1997 के अनुसार परिवार पेंशन योजना 1971 के लिए निर्धारित खातों के प्रपत्र में कतिपय परिवर्तन किए गए तथा संशोधित प्रपत्र को इस कार्यालय के पत्र सं. बी. एस. सी 6 (5) /97/1359 दिनांक 1.10.1997 के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास भेजने हेतु मंत्रालय को भेज दिया गया जिससे कि इसका कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के खातों के प्रपत्र के रूप में अनुमोदन कर दिया जाए जिसमें वर्तमान वर्ष के खाते बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सब वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं।</p>

<p>4 <u>लेखों पर टिप्पणियां</u></p> <p>4.1 <u>तमिलनाडू क्षेत्र के लिए प्रमाणित लेखों के आंकड़ों तथा उनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय को वास्तव में प्रेषित आंकड़ों में अंतर</u></p> <p>तमिलनाडू क्षेत्र के प्रमाणित आंकड़ों में आय और व्यय लेखा में "कर्मचारी हितकारी निधि" शीर्ष के अन्तर्गत 45,000 रूपए की राशि दर्शाई गई है लेकिन मुख्यालय को प्रेषित आंकड़ों में इस शीर्ष के अन्तर्गत शून्य था ।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप व्यय में 0.45 लाख रूपए को कमी एवं देयताओं में 0.45 लाख रूपए की अधिकता आई ।</p>	<p>इस संबंध में तथ्यों के आधार पर अगले वर्ष के वार्षिक लेखों में वांछित कार्यवाही की जाएगी ।</p>
<p>4.2 <u>अप्रमाणित परिसंपत्तियां</u></p> <p>(i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तुलन-पत्र में 'भूमि एवं भवन' शीर्ष के अंतर्गत अधिगृहीत परिसंपत्तियों में 20794.19 लाख रूपए तथा अग्रिम भुगतान में 8460.34 लाख रूपए दर्शाए गए थे। 'परिसम्पत्ति रजिस्टर' में वर्ष के दौरान अधिगृहीत परिसंपत्तियों की किसी भी प्रविष्टि का अंकन नहीं पाया गया । अतः तुलन-पत्र में दिए गए आंकड़ों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती ।</p> <p>क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि अधिगृहीत परिसम्पत्तियों के आंकड़ों की जांच एवं समेकन की प्रक्रिया में पर्याप्त समय लग जाता है एवं दिनांक 31.3.03 तक 10 क्षेत्रों के आंकड़ों का मिलान कर लिया गया है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तुलन पत्र के यथार्थ एवं स्पष्ट चित्रण हेतु वर्ष के दौरान अधिगृहीत समस्त परिसम्पत्तियों को उसी वर्ष के दौरान अवश्य लेखाबद्ध हो जाना चाहिए।</p> <p>(ii) संबंधित तुलन पत्रों में "लोक लेखा में जमा" शीर्ष के अंतर्गत परिसंपत्ति की तरफ क्रमशः क.पें.बो. 95 में 21,06,764.20 लाख रूपए तथा कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा योजना, 76 में 2,82,200.14 लाख रूपए के निवेश को दिखाया गया है । इन आंकड़ों का पी ए ओ, श्रम मंत्रालय के साथ समाधान किया जाना चाहिए । पी ए ओ के आंकड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में उपलब्ध नहीं थे। समाधान न होने के कारण इन परिसंपत्तियों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती।</p> <p>क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा तुलन-पत्र में दर्शाए गए लोक लेखा के शेष पर ब्याज देती है एवं पी.ए.ओ. से अन्य किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तुलन पत्र में एक सम्पत्ति के रूप में "लोक लेख में जमा" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए जाने के कारण लेखों के औषप्रमाणन हेतु इस राशि की पी.ए.ओ. से पुष्टि होना आवश्यक है ।</p>	<p>मेनुअल के प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ ही साथ मुख्यालय भी अपनी परिसंपत्तियों का विवरण 'परिसंपत्ति रजिस्टर' में रखते हैं किंतु यहां पर कोई 'भूमि व भवन' रजिस्टर नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिगृहीत परिसंपत्ति एवं भुगतान किए गए अग्रिम के आंकड़ों को संबंधित राज्यों के महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षण के पश्चात् सत्यापन एवं समेकन हेतु मुख्यालय भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में पर्याप्त समय लग जाता है क्योंकि कई बार क्षेत्रीय कार्यालयों को उतनी ही राशि का भुगतान नहीं करना होता है जितनी कि मुख्यालय द्वारा भेजी गई थी। तथापि 31.3.2003 तक 10 क्षेत्रों के आंकड़ों का मिलान कर लिया गया है जो कि वास्तविक अधिगृहीत राशि/भुगतान किए गए अग्रिम की पुष्टि करते हैं।</p> <p>भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा तुलन-पत्र में दर्शाए गए लोक लेखा के शेष पर ब्याज देती है। चूंकि 31.3.2003 को लोक लेखा के शेष की केन्द्र सरकार द्वारा पुष्टि की जा चुकी है, अतः इसमें आगे समाधान की आवश्यकता नहीं है। इसको जांच इस तथ्य द्वारा की जा सकती है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पत्र संख्या बजट 7 (2) 96/ पी एस दिनांक 8/10/02 के द्वारा 1.4.2002 को संगठन के तुलन पत्र में दर्शाए गए लोक लेखा के अधिशेष के आधार पर वर्ष 2002-03 के लिए लोक लेखा की पेंशन निधि पर 1648.26 करोड़ रूपए के ब्याज का दावा किया जिसे श्रम मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या जी 20015/1/2002- एस एस - II दिनांक 20 मार्च 2003 द्वारा यथावत स्वीकृति प्रदान कर भुंचित किया है ।</p>

4.3 मार्गस्थ प्रेषण

वित्तीय वर्ष के अंत में एक लेखे से दूसरे लेखे में अंतरित राशि अथवा बैंक द्वारा विभिन्न खातों में गलती से जमा की गई राशि को अगले वित्तीय वर्ष में संबंधित खाते में जमा किया जाता है। जब तक कि इसे संबंधित खाते में अंतरित / जमा नहीं किया जाता इसे मार्गस्थ प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तुलन-पत्र में मार्गस्थ प्रेषण में क्रमशः 5019.91 लाख रु, 3245.44 लाख रुपए तथा 1507.58 लाख रुपए दर्शाए गए हैं जिनका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना

(रुपए लाखों में)

वर्ष	लेखा संख्या 4	लेखा संख्या 5	लेखा संख्या 8	लेखा संख्या 4 ए	क.भ.नि. निवेश खाता	कुल
1	2	3	4	5	6	7
97-98 तक	281.55	1,926.08	139.49	-	448.28	2,795.40
1998-99	135.53	60.00	98.27	-	-	293.80
1999-00	158.14	21.00	67.06	-	-	246.20
2000-01	407.21	30.00	54.85	-	-	492.06
2001-02	205.58	245.00	0.06	-	-	450.64
2002-03	335.79	360.00	45.84	0.18	-	741.81
कुल	1,523.80	2,642.08	405.57	0.18	448.28	5,019.91

(ख) कर्मचारी पेंशन योजना

(रुपए लाखों में)

वर्ष	मार्गस्थ-प्रेषण
1997-98 तक	2,036.44
1998-99	205.00
1999-00	0.00
2000-01	0.00
2001-02	-91.00
2002-03	1,095.00
कुल	3,245.44

(ग) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना

(रुपए लाखों में)

वर्ष	लेखा संख्या 24	लेखा संख्या 25	भारतीय रिजर्व बैंक	कुल
1997-98 तक	175.21	980.31	5.32	1,160.84
1998-99	6.68	70.86	-	77.54
1999-00	8.21	-3.69	-	4.52
2000-01	7.92	91.25	-	99.17
2001-02	4.53	34.00	-	38.53
2002-03	18.46	108.52	-	126.98
कुल	221.01	1,281.25	5.32	1,507.58

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत रचित तीनों योजनाओं के प्रावधानों को 106 अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् क्षेत्रीय कार्यालयों, उपक्षेत्रीय कार्यालयों एवं उपलेखा कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जाता है। संगठन की कार्यपद्धति की प्रकृति में बड़ी मात्रा में वित्तीय लेन-देन की आवश्यकता होती है। ऐसे परिदृश्य में वर्ष के अंत में मार्गस्थ-प्रेषण अपरिहार्य है। प्रणाली में मार्गस्थ राशि अन्तर्निहित है क्योंकि मार्च के अंतिम सप्ताह में अंतरित की गई राशि को अगले वित्तीय वर्ष में संबंधित खाते में जमा किया जाता है। अतः खाते में शेष 'शून्य' नहीं हो सकता। कई बार राशि को गलत खाते में जमा कर दिया जाता है तथा उस राशि को भी मार्गस्थ-राशि के रूप में दर्शाया जाता है। मार्गस्थ राशि को निरंतर मॉनीटर किया जाता है तथा संबंधित क्षेत्र को इस बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वह राशि को जमा करने के मामले पर बैंक से बातचीत कर सके। निरंतर अनुश्रवण के परिणामस्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के संबंध में मार्गस्थ राशि में गत वर्ष की तुलना में 27%, 58% एवं 12% की कमी आई है।

उपर्युक्त मार्गस्थ शीर्ष का समाधान न होने के कारण नीचे दिए गए खातों में वास्तविक शेष का पता नहीं लग सका।

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि वर्ष के अंत में मार्गस्थ प्रेषण अपरिहार्य है एवं संगठन द्वारा मार्गस्थ प्रेषण का सतत अनुश्रवण किया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि "मार्गस्थ प्रेषण" शीर्ष के अन्तर्गत 1997-98 से पूर्व के पुराने प्रेषण भी सम्मिलित हैं।

4.4 अप्रमाणित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां

बैंक द्वारा एक खाते की राशि गलती से दूसरे खाते में जमा/नाम हो सकती है। निम्नलिखित खातों के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में गलत नाम/ अधिक जमा / अप्राप्त जमा दर्शाये गए थे।

(रुपयों में)

खाता संख्या	बैंक द्वारा गलती से किया गया नाम	अधिक जमा	लापता जमा
	राशि	राशि	राशि
5	1510127.00	590015.00	36000075.00
8	-	755641.00	-4584308.00
9	-	1933787.00	-
11	2500002.00	13681359.00	-90500281.00
24	-	8105806.00	-1907658.00
25	-	4205048.00	-10851528.00
कुल	4010129.00	29271656.00	-71843700.00

इन आंकड़ों का समाधान करना एक निरंतर प्रक्रिया है तथा तदनुसार बैंक के साथ आंकड़ों का मिलान करने के प्रयास किए जा रहें हैं। परिणामस्वरूप, त्रुटिपूर्ण नाम गत वर्ष के 95.00 लाख रुपए से घटकर 40.10 लाख रुपए तथा अधिक किया जमा 1850.12 लाख रुपए से घटकर 292.71 लाख रुपए रह गया है। प्रेषण में दर्शाए गए लापता जमा के आंकड़े सही नहीं हैं। यही नहीं, लापता क्रेडिट गत वर्ष के 7665.46 लाख रु. से घटकर 1438.44 लाख रुपए रह गया है।

खाता संख्या 10, 21 एवं 22 में त्रुटिपूर्ण नाम/जमा का विवरण नीचे दिया गया है :-

(रुपये)

खाता संख्या	त्रुटिपूर्ण जमा	त्रुटिपूर्ण नाम
10	272454626.52	897756437.21
21	33265273.76	33617157.31
22	15492395.41	9856346.88

वर्षवार विवरण के अभाव में तथा त्रुटिपूर्ण नाम/जमा/लापता जमा के असमायोजन के कारण उपर्युक्त खातों के वास्तविक शेष का पता नहीं लगाया जा सका।

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि बैंक के साथ राशियों के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि अप्राप्त जमा 1438.44 लाख रुपए थी। वास्तविकता तो यह है कि विभिन्न लेखों में उपर्युक्त विशाल राशि का समाधान होना अभी भी बाकी है।

चूंकि इन खातों का त्रुटिपूर्ण नाम/जमा का मदवाद विवरण संगठन के क्षेत्र स्थित कार्यालयों में ही उपलब्ध है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। इस संबंध में हुई प्रगति का मुख्यालय द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है।

4.5 देयताएं कम दर्शाना

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तुलन पत्रों के देयताओं की ओर 'निवेश अस्थिर खाते' शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः 14863.26 लाख रुपये, 130644.07 लाख रुपये तथा 3861.42 लाख रुपयों का ऋणात्मक शेष दिखाया गया है। देयता की तरफ ऋणात्मक शेष दिखाने के बजाय इन शेषों को संबंधित तुलन पत्र के परिसम्पत्ति की तरफ दर्शाया जाना चाहिये था। इन ऋणात्मक शेषों को संगठन की परिसम्पत्ति की ओर न दिखाने से 149368.75 लाख रुपये की देयताओं को कम

भारत के सी.ए.जी. द्वारा अनुमोदित दृढ़ लेखा प्रपत्र के अनुसार ऋणात्मक शेष के कारण देयताओं को परिसम्पत्ति की ओर नहीं दिखाया जा सकता। लेखा परीक्षा की अभियुक्ति को स्वीकार करने के पूर्व केन्द्र सरकार एवं भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की स्वीकृत आवश्यक होगी क्योंकि इससे वार्षिक लेखों के वर्तमान

<p>अंका गया ।</p> <p>क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि दृढ़ लेखा प्रपत्र के कारण ऋणात्मक शेष के कारण देयताओं को परिसम्पत्ति की ओर नहीं दिखाया जा सकता ।</p> <p>क.भ.नि.सं. के कार्यकलापों के यथार्थ एवं स्पष्ट चित्रण हेतु यह अनिवार्य है कि उसे भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वायत्त शासी संस्थाओं हेतु निर्धारित लेखों के नवीन प्रपत्र को अपना लेना चाहिए ।</p>	<p>प्रपत्र में मूलभूत परिवर्तन हो सकता है ।</p>
<p>4.6 असत्यापित देयताएं</p> <p>संगठन के तुलन पत्र के देयता की तरफ "समूह बीमा योजना (पुरानी)" के मद के तहत 100.89 लाख रुपये दिखाये गये हैं । इस योजना को रोक दिया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा पात्र कर्मचारियों को राशि का भुगतान कर दिया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय द्वारा की जानी थी ।</p> <p>क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों से नाम टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें देय राशि की प्राप्ति कर दी जाएगी ।</p> <p>उपर्युक्त अभियुक्ति पूर्व लेखापरोक्षा में भी दर्शाई गई थी । लेकिन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को उपर्युक्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय की ओर से कोई प्रयास नहीं किये गये ।</p>	<p>संगठन की जी.आई.एस. (पुरानी) के तहत अंतिम निपटान की देयता लगभग 100.89 लाख रुपये है । वस्तुतः बकाए का भुगतान संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा पात्र स्टाफ कर्मचारियों को कर दिया गया है। इन राशियों की प्रतिपूर्ति क्षेत्रीय कार्यालय/उपक्षेत्रीय कार्यालय को उनसे नाम टिप्पणियां प्राप्त करने के उपरांत कर दी जायेगी । क्षेत्रीय कार्यालय / उपक्षेत्रीय कार्यालय से अंतिम रूप से कहा गया है कि इसे 31 मार्च, 2004 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें ।</p>
<p>4.7 बैंक समाधान</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय) के बैंक समाधान विवरणों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियां का पता चला :-</p> <p>(क) 570.8 लाख रुपये की राशि के चेक जारी किये गये लेकिन बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । सबसे पुराना चेक 1999-2000 का है ।</p> <p>(ख) 0.90 लाख रुपये की राशि के चेक बैंक में जमा किये गये लेकिन बैंक ने उन्हें खाते में जमा नहीं किया ।</p> <p>(ग) बैंक द्वारा 3.37 लाख रुपये की राशि गलत नामों की गयी । यह राशि सितम्बर, 1993 की थी जिसका अभी तक समाधान एवं सत्यापन नहीं किया गया ।</p> <p>(घ) खाते में गलत जमा की गयी 205 लाख रुपये की राशि है जो वर्ष 1993-94 से 2002-03 की अवधि से संबंधित है तथा जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है ।</p> <p>क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि -</p> <p>(क) अब तक 568.73 लाख रुपये के चेकों का समाशोधन किया जा चुका है ।</p> <p>(ख) 0.22 लाख रुपये के चेकों का जमा प्राप्त हो चुका है, शेष का समाधान किया जा रहा है ।</p> <p>(ग) बैंक द्वारा गलत जमा तथा नाम के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष मामला उठाया गया है एवं</p> <p>(घ) त्रुटिपूर्ण जमा में से 164.88 लाख रुपये की राशि का समाधान किया जा चुका है जबकि, शेष राशि का समाधान किया जा रहा है ।</p>	<p>अब तक 568,72,841.00 रुपये के चेकों का समाशोधन किया जा चुका है । अधिकांश शेष राशि कालातीत चेकों की है, जिन्हें रद्द करने के लिए, बैंक से अभुगतान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।</p> <p>अब तक 21,922.00 रुपये की चेक राशि का जमा प्राप्त हो चुका है । शेष राशि का समाधान किया जा रहा है ।</p> <p>बैंक द्वारा गलत जमा तथा नाम के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के समक्ष मामला उठाया गया है ।</p> <p>उक्त त्रुटिपूर्ण जमा में से 164,87,690.00 रुपये की राशि का समाधान किया जा चुका है जबकि, शेष राशि का समाधान किया जा रहा है ।</p>

4.8 अधिक प्राप्तियों का प्रदर्शन

“खाता संख्या 4 - क.भ.नि. केन्द्रीय प्रशासन खाता” का पोषण, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/उपक्षेत्रीय कार्यालयों के “क्षेत्रीय प्रशासन खाता संख्या 2” से निधि अन्तरण के द्वारा किया जाता है। अधिशेष प्रशासन निधि के निवेश के द्वारा यदि कोई ब्याज की कमाई तथा परिपक्वता लाभ अर्जित किये जाते हैं तो उसे भी इस खाते में जमा किया जाता है। केन्द्रीय कार्यालय अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए “खाता संख्या 4-ए केन्द्रीय कार्यालय प्रशासन खाता” का संचालन करता है जिसका पोषण खाता संख्या 4 से राशि के अंतरण द्वारा किया जाता है।

खाता संख्या 4 की आय तथा व्यय विवरणों में, खाता संख्या 4-ए को किए गए अंतरण की राशि 3127.73 लाख रुपये थी। इस राशि को मुख्यालय के प्राप्ति एवं भुगतान खाता में खाता संख्या 4 से प्राप्ति के रूप में भी दिखाया जाना था। मुख्यालय के प्राप्ति एवं भुगतान खाता में खाता संख्या 4 से प्राप्ति 3156.43 लाख रुपये दिखायी गयी थी, जो कि 28.70 लाख रुपये अधिक थी तथा जिसके बढ़ने का विवरण लेखा परीक्षा के दौरान नहीं बताया गया था।

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि खाता संख्या 4 से खाता संख्या 4-ए में दो अंतरण के विभिन्नता की राशि 28.70 लाख रुपये थी। वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 की समाप्ति के दौरान क्रमशः 50,00,000 दिनांक 26.3.2002 (2.4.2002 को जमा) तथा 21,29,600 रुपये दिनांक 20.3.2003 (5.4.2003 को जमा) मार्गस्थ थे। वर्ष 2002-03 के तुलन पत्र में पहली राशि जमा कर गणना की गयी है जबकि दूसरी राशि वर्ष 2003-04 के तुलन पत्र में समायोजित कर दी जायेगी।

खाता संख्या 4 से खाता संख्या 4-ए में दो अंतरण के विभिन्नता की राशि 28.70 लाख रुपये थी। वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 की समाप्ति के दौरान क्रमशः 50,00,000 दिनांक 26.3.2002 (2.4.2002 को जमा) तथा 21,29,600 रुपये दिनांक 20.3.2003 (5.4.2003 को जमा) मार्गस्थ थे। वर्ष 2002-03 के तुलन पत्र में पहली राशि जमा कर गणना की गयी है जबकि, दूसरी राशि वर्ष 2003-04 के तुलन पत्र में समायोजित कर दी जायेगी।

4.9 ब्याज उचंच खाता

कर्मचारी भविष्य निधि शेष पर अर्जित ब्याज तथा वर्ष के दौरान नियोक्ता से प्राप्त विलंबित अंशदान पर दंड स्वरूप हर्जाने को ब्याज उचंच लेखा (एक प्रोफार्मा लेखा) में जमा किया जाता है। इसके उपरांत, वार्षिक लेखों को बंद करते समय, ब्याज अभिदाताओं के लेखों में जमा किया जाता है तथा उसी राशि को ब्याज उचंच लेखा में नाम किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तुलन पत्र में 31.3.2003 को 8,31,312 लाख रुपये का जमा शेष था। 1999-2000 तथा उससे आगे के 4 वर्षों के ब्याज उचंच लेखा की वर्षवार स्थिति नीचे दी गई है।

(रुपये लाख में)

वर्ष	पिछले वर्ष का शेष	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	उचंच लेखा से नामे ब्याज	अंतः शेष
1	2	3	4	5
1990-00	817,617	511,779	545,123	784,273
2000-01	784,273	562,809	544,859	802,223
2001-02	802,223	575,079	584,353	792,949
2002-03	792,949	595,301	556,938	831,312

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि 831312 लाख रुपये की राशि में से, 595301 लाख रुपये वर्ष 2002-03 के दौरान अर्जित ब्याज से संबंधित है, जो अनुवर्ती वर्ष के दौरान अभिदाताओं के खातों में जमा किए जाने हैं। ब्याज उचंच खाते में प्रत्येक वर्ष कुछ अधिशेष बढ़ता है क्योंकि सदस्यों-के खातों में जमा किए जाने वाले ब्याज की देयताओं से आय थोड़ी अधिक है। प्रत्येक वर्ष के छोटे-छोटे अधिशेष के जमा होने से इन वर्षों में कुछ अधिशेष बन गया है।

8313.12 करोड़ रुपये की राशि में से, 5953.01 करोड़ रुपये वर्ष 2002-03 के दौरान अर्जित ब्याज से संबंधित है, जो अनुवर्ती वर्ष के दौरान अभिदाताओं के खातों में जमा की जानी है। ब्याज उचंच खाते में अधिशेष के अतिरिक्त, एक वर्ष की आय शेष के रूप में रहती है। ब्याज उचंच खाते में प्रत्येक वर्ष कुछ अधिशेष बढ़ता है क्योंकि सदस्यों-के खातों में जमा किए जाने वाले ब्याज की देयताओं से आय थोड़ी अधिक है। प्रत्येक वर्ष के छोटे-छोटे अधिशेष के जमा होने से इन वर्षों में कुछ अधिशेष बन गया है। अ-दावी जमा लेखा में प्रत्येक वर्ष ब्याज को जमा नहीं किया जाता है। इसकी गणना करना तथा उसे खाते में जमा करना, निपटान के समय किया जाता है।

<p>उत्तर अमान्य है क्योंकि इस प्रकार की विसंगतियों के संबंध में पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया था तथापि पिछले वर्ष के अंतः शेष की राशि 792949 लाख रु. की तुलना में चालू वर्ष के अंतः शेष की राशि बढ़कर 831312 लाख रुपये हो गई है।</p>																										
<p>4.10 परिसम्पत्तियों को कम बताना</p> <p>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना का तुलन पत्र दर्शाता है कि "कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेख" से देय राशि शीर्ष के अंतर्गत 442.37 लाख रुपये का ऋणात्मक शेष परिसम्पत्ति पक्ष की ओर दर्शाया गया है जबकि इसे देयताओं की ओर दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 442.37 लाख रुपये परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में कम आंके गए।</p> <p>केन्द्रीय कार्यालय के तुलनपत्र में "समूह बीमा योजना" शीर्ष के अंतर्गत 6.58 लाख रु. का ऋणात्मक शेष को परिसंपत्ति के रूप में दर्शाने के बजाए देयता की तरफ दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप संगठन की सम्पत्ति को 6.58 लाख रुपये कम बताया गया है।</p> <p>उपर्युक्त अभियुक्ति पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी की गई थी लेकिन उसके सुधार हेतु कार्रवाई नहीं की गई।</p>	<p>भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के द्वारा अनुमोदित लेखा के प्रपत्र को अनम्यता के कारण परिसम्पत्ति के ऋणात्मक शेष को देयता की तरफ नहीं दिखाया जा सकता है। लेखा परीक्षा की अभियुक्ति को स्वीकार करने के पूर्व केन्द्र सरकार एवं भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की स्वीकृति आवश्यक होगी क्योंकि इससे वार्षिक लेखों के वर्तमान प्रपत्र में मूलभूत परिवर्तन हो सकता है।</p> <p>संगठन के समेकित तुलनपत्र में इन शेषों को देयता की तरह ठीक दिखाया गया है। आगे, यह एक दुतरफा प्रविष्टि है, अतः यह कहना गलत होगा कि उक्त परिसम्पत्ति को 6.58 लाख रु. कम बताया गया है।</p>																									
<p>संगठन की कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तुलन पत्र में देयता पक्ष की ओर सामूहिक बीमा योजना (नई) शीर्ष के अंतर्गत 1.83 लाख रुपये ऋणात्मक शेष के रूप में दर्शाये गये हैं। देयता पक्ष में ऋणात्मक शेष दर्शाने के स्थान पर इसे संबंधित तुलनपत्र के परिसम्पत्ति पक्ष की ओर दर्शाया जाना चाहिये था। इसे परिसम्पत्ति पक्ष की ओर ऋणात्मक शेष के रूप में न दर्शाने का परिणाम यह हुआ कि 1.83 लाख रुपये की कम परिसम्पत्ति दर्शायी गयी है।</p> <p>क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि ऋणात्मक शेष अनुमोदित लेखा प्रपत्रों के निर्देशानुरूप ही किए गए हैं।</p> <p>उत्तर अमान्य है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने लेखों में एकरूपता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से "कमेटी ऑन पेपर्स लेंड ऑन दी टेबल ऑफ पार्लियामेंट" की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय स्वायत्त शासी संस्थाओं हेतु एक समान लेखा प्रपत्र की प्रस्तावना की है। यह लेखा प्रपत्र लेखा वर्ष 2001-02 से लागू किया जाना था।</p>	<p>भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के द्वारा अनुमोदित लेखा के प्रपत्र की दृढ़ता के कारण परिसम्पत्ति के ऋणात्मक शेष को देयता की तरफ नहीं दिखाया जा सकता है। लेखा परीक्षा की अभियुक्ति को स्वीकार करने के पूर्व केन्द्र सरकार एवं भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की स्वीकृति आवश्यक होगी क्योंकि इससे वार्षिक लेखों के वर्तमान प्रपत्र में मूलभूत परिवर्तन हो सकता है।</p>																									
<p>4.11 अधिक अदायगी/अनियमित अदायगी</p> <p>(क) अधिक अदायगियों</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को की गयी अधिक अदायगियों को क्षेत्रों के तुलन पत्र में इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। सभी क्षेत्रों के वार्षिक आंकड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समेकित तुलनपत्र में दर्शाये गये हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित राशि दर्शायी गयी है।</p> <p style="text-align: right;">(रूपये)</p> <table border="1" data-bbox="146 1627 909 1812"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>आदि शेष</th> <th>जोड़ें - अदा की गयी राशि</th> <th>घटाये - बसूल की गयी राशि</th> <th>अंतःशेष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1999-2000</td> <td>1,437,672.78</td> <td>511,662.00</td> <td>270,179.65</td> <td>1,679,155.13</td> </tr> <tr> <td>2000-2001</td> <td>1,679,155.13</td> <td>1,019,885.67</td> <td>706,593.25</td> <td>1,992,447.55</td> </tr> <tr> <td>2001-2002</td> <td>1,992,447.55</td> <td>3,515,708.39</td> <td>1,903,518.10</td> <td>3,604,637.84</td> </tr> <tr> <td>2002-2003</td> <td>3,604,637.84</td> <td>1,599,175.84</td> <td>695,212.50</td> <td>4,508,601.18</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	आदि शेष	जोड़ें - अदा की गयी राशि	घटाये - बसूल की गयी राशि	अंतःशेष	1999-2000	1,437,672.78	511,662.00	270,179.65	1,679,155.13	2000-2001	1,679,155.13	1,019,885.67	706,593.25	1,992,447.55	2001-2002	1,992,447.55	3,515,708.39	1,903,518.10	3,604,637.84	2002-2003	3,604,637.84	1,599,175.84	695,212.50	4,508,601.18	<p>वर्ष 2002-03 के दौरान 15.99 लाख रुपये की राशि की अधिक अदायगी की गयी जबकि इसी अवधि के दौरान 6.95 लाख रुपये की वसूली की गयी। क्षेत्रीय इकाइयों में अधिक/अनियमित अदायगियों का पता लगाने की एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसका पता लगने के बाद संबंधित इकाई द्वारा उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध आनुपातिक दण्डात्मक कार्रवाई करके नुकसान को पूरा किया जाता है। इन अदायगियों का उचित लेखा जोखा रखा जाता है तथा अधिक अदायगी रजिस्टर और अधिक अदायगी समिति के द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत अधिकतर</p>
वर्ष	आदि शेष	जोड़ें - अदा की गयी राशि	घटाये - बसूल की गयी राशि	अंतःशेष																						
1999-2000	1,437,672.78	511,662.00	270,179.65	1,679,155.13																						
2000-2001	1,679,155.13	1,019,885.67	706,593.25	1,992,447.55																						
2001-2002	1,992,447.55	3,515,708.39	1,903,518.10	3,604,637.84																						
2002-2003	3,604,637.84	1,599,175.84	695,212.50	4,508,601.18																						

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिक अदायगियों की राशि 36.05 लाख से बढ़कर 45.09 लाख रूपये यानी 9.04 लाख बढ़ गई ।

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि अधिक अदायगी वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है । यह भी कहा गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों ने दोषियों के विरुद्ध कुछ मामलों में दीवानी/आपराधिक कार्रवाई की है ।

ख. अनियमित अदायगियाँ

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कपटपूर्ण अदा की गयी राशि को क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलनपत्र में इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है । सभी क्षेत्रों के वार्षिक आंकड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समेकित तुलनपत्र में दर्शाये गये हैं । निम्नलिखित राशि इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शायी गयी है ।

(रूपये)

वर्ष	आदि शेष	जाड़े - अदा की गयी राशि	घटाये - वसूल की गयी राशि	अंतःशेष
1999-2000	7,216,036.47	-	-	7,216,036.47
2000-2001	7,216,036.47	381,077.00	-	7,597,113.47
2001-2002	7,597,113.47	-	-	7,597,113.47
2002-2003	7,597,113.47	21,175.00	-	7,618,288.47

पिछले वर्ष की तुलना में कपटपूर्ण अदायगियों की राशि में सीमांत वृद्धि हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले चार वर्षों में कोई राशि वसूल नहीं की है ।

पिछले वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भी इसी प्रकार की टिप्पणी की गयी थी परन्तु कोई उपचारिक उपाय नहीं किये गये ।

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

राशि 1999-2000 से पूर्व अवधि की है । क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस राशि की वसूली हेतु संगठन के कर्मचारियों तथा इन अदायगियों में शामिल बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध दीवानी/अपराधिक मुकदमें दायर किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इन मामलों पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

5. तुलन पत्र की पाद टिप्पणी में देयराशि को न दर्शाना

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध ग्रीमा योजना के तुलन पत्र की पाद-टिप्पणी में निम्नलिखित को नहीं दर्शाया गया है :-

(रूपये लाखों में)

क.पे.यो., 1995	3,772.80
31.3.2003 को क.पे.यो. अंशदान पर देय शास्तिक नुकसानी	
क.नि.स.बीमा योजना, 1976	525.88
क.नि.स.बीमा अंशदान, प्रशासकीय प्रभार तथा निरीक्षण प्रभार पर देय शास्तिक नुकसानी	

तुलन पत्र में उपरोक्त सूचनात्मक पाद-टिप्पणी न होने के कारण संगठन की सही तथा उचित स्थिति का पता नहीं चलता है ।

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि अपेक्षित सूचना पाद-टिप्पणी में नहीं दर्शायी गयी क्योंकि ये मद अंतिम लेखों के अनुमोदित प्रारूप का भाग नहीं थी । उत्तर अमान्य है क्योंकि लेखों के यथार्थ एवं स्पष्ट स्वरूप को प्रदर्शित करने हेतु पाद टिप्पणियाँ का संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

अपेक्षित सूचना पाद-टिप्पणी में नहीं दर्शायी गयी क्योंकि ये मद अंतिम लेखों के अनुमोदित प्रारूप का भाग नहीं थी ।

<p>6. विविध</p> <p>6.1 बकाया उचंत शेष</p> <p>मुख्यालय के तुलनपत्र में उचंत लेखा (देयता पक्ष) शीर्ष के अंतर्गत 6.59 लाख रुपये तथा उचंत लेखा अवगीकृत (परिसम्पति पक्ष) शीर्ष के अंतर्गत 0.78 लाख की राशि दर्शायी गयी है।</p> <p>क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि 5.26 लाख रुपये की उचंत (देयताओं) का समाधान कर लिया गया है तथा शेष राशि का समाधान किया जा रहा है।</p>	<p>5,25,927.00 रुपये की उचंत (देयताओं) का समाधान कर लिया गया है तथा शेष राशि का समाधान किया जा रहा है।</p>															
<p>6.2 विभिन्न नामे/जमा</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के तुलनपत्र में विभिन्न नामे/जमा शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित राशि दर्शायी गयी है।</p> <p style="text-align: right;">(रुपये में)</p> <table border="1" data-bbox="113 828 857 1008"> <thead> <tr> <th>योजना</th> <th>विभिन्न जमा</th> <th>विभिन्न नामे</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क.भ.नि.योजना, 1952</td> <td>1,03,09,00,757.13</td> <td>89,53,63,683.98</td> </tr> <tr> <td>क.पे.योजना, 1995</td> <td>51,69,46,492.40</td> <td>1,05,60,16,428.02</td> </tr> <tr> <td>क.नि.स.बी.योजना, 1976</td> <td>22,30,61,209.00</td> <td>9,78,62,653.43</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>177,09,08,458.53</td> <td>204,92,42,765.43</td> </tr> </tbody> </table> <p>क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न जमा/नामे का वर्षवार ब्यौरा लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया है इसके कारण विभिन्न जमा (17709.08 लाख) / नामे (20492.42 लाख) का सही हाने का सत्यापन नहीं किया जा सका।</p> <p>क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि वर्षवार/मदवार विवरण क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के पास ही हैं तथा उन शीर्षों के समाधान की प्रगति का अनुश्रवण मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, विविध जमा एवं विविध नामे, तीनों योजनाओं को एक साथ लेंते हुए, वर्ष 2002-03 में क्रमशः 9.91% एवं 4.64% घट गए हैं।</p>	योजना	विभिन्न जमा	विभिन्न नामे	क.भ.नि.योजना, 1952	1,03,09,00,757.13	89,53,63,683.98	क.पे.योजना, 1995	51,69,46,492.40	1,05,60,16,428.02	क.नि.स.बी.योजना, 1976	22,30,61,209.00	9,78,62,653.43	कुल	177,09,08,458.53	204,92,42,765.43	<p>चूंकि इन उचंत लेखों के अंतर्गत वर्षवार/मदवार ब्यौरा क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय / उपलेखा कार्यालयों के पास उपलब्ध है अतः उनको इन्हें निपटाने का निर्देश दे दिये गये हैं। क्षेत्रीय आयुक्तों की आवधिक/ समीक्षा बैठकों में मुख्यालय द्वारा प्रगति की निगरानी की जाती है। इसके परिणामस्वरूप तीनों योजनाओं में विभिन्न नामे तथा जमा में कुल मिलाकर वर्ष 2002-03 में क्रमशः 9.91% तथा 4.64% की कमी आई है।</p>
योजना	विभिन्न जमा	विभिन्न नामे														
क.भ.नि.योजना, 1952	1,03,09,00,757.13	89,53,63,683.98														
क.पे.योजना, 1995	51,69,46,492.40	1,05,60,16,428.02														
क.नि.स.बी.योजना, 1976	22,30,61,209.00	9,78,62,653.43														
कुल	177,09,08,458.53	204,92,42,765.43														
<p>6.3 परिसम्पतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन</p> <p>जी.एफ.आर. 1961 के नियम 116 (1) के अनुसार वर्ष में एक बार परिसम्पतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना चाहिये परन्तु वर्ष 2002-03 की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः तुलन पत्र में दर्शायी गयी परिसम्पतियों के मूल्य को लेखा परीक्षा में सही नहीं माना जा सकता।</p> <p>क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2004) कि कुछ क्षेत्रों को परिसम्पतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन 31.3.2003 तक पूरा नहीं किया जा सका है तथा उक्त कार्य प्रगति पर है।</p>	<p>कुछ क्षेत्रों की परिसम्पतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन 31.3.2003 तक पूरा नहीं किया जा सका है तथा उक्त कार्य प्रगति पर है।</p>															
<p>7. तुलन पत्र, आय तथा व्यय लेखा तथा प्राप्ति तथा अदायगी लेखा पर लेखा परीक्षा टिप्पणी का प्रभाव</p> <p>पिछले प्रस्तारों में दी गयी टिप्पणियों का प्रभाव यह रहा कि 31.3.2003 को परिसम्पतियाँ 450.78 लाख रुपये कम बताई गईं, देयताएँ 149810.67 लाख रुपये कम बताई गईं, व्यय 0.45 लाख रुपये कम बताया गया तथा प्राप्तियाँ 28.70 लाख रुपये अधिक बताई गईं।</p>	<p>संबंधित प्रस्तारों के सम्मुख समुचित टिप्पणियाँ पहले ही दी जा चुकी हैं।</p>															